घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 289- शुक्रवार 21- अगस्त 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

संक्षिप्त समाचार

कैबिनेट : लद्दाख में स्थापित होगी जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की बेंच

नई दिल्ली,20 अगस्त 2026। केन्द्र सरकार ने लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में न्याय की त्वरित पहुंच के लिए वहां उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित करने का फैसला किया है। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मंत्रिमंडल के इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि है कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने एक्स पर कहा...'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होगा और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। '

कांग्रेस का पूरा वंदे मातरम न गाना देशविरोधी : शाह

नई दिल्ली,20 अगस्त। गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस का वंदे मातरम पूरा न गाने का फैसला हैरान करने वाला और देशविरोधी है। 1937 में कांग्रेस ने जो फैसला लिया था, उसे पीएम मोदी ने सुधारा है। उन्होंने कहा- कांग्रेस ने 1937 में राष्ट्रगीत के दो टुकड़े कर मुस्लिम तुष्टीकरण किया था। उस फैसले से दो-राष्ट्र सिद्धांत को मजबूती मिली और आगे चलकर देश का विभाजन हुआ। शाह के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पार्टी के सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा- वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था। यह हमारे लिए भावनात्मक मुद्दा है। बीजेपी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं थी। उनके लिए यह राजनीतिक मुद्दा है। दरअसल, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बुधवार को ऐलान किया कि पार्टी अपने सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 में से सिर्फ शुरुआती दो पैरा गाएगी। यह फैसला 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन को लेकर हुए विवाद के बाद आया।

मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बने नए राष्ट्रपति,255 वोटों से जीते चुनाव

नई दिल्ली,20 अगस्त। बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चल रही मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है और शुरुआती नतीजों में मिर्जा फखरुल आलमगीर इस्लामगीर ने मजबूत बढ़त बना ली है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, उन्हें अब तक 255 वोट प्राप्त हुए हैं। वहीं, 11 दलों के गठबंधन की ओर से मैदान में उतरे उम्मीदवार ओली अहमद को 88 वोट मिले हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन ने मिर्जा फखरुल आलमगीर इस्लामगीर को विजेता घोषित किया है। बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान गुरुवार को हुआ। मतदान दोपहर करीब 2 बजे शुरू किया गया था, जबकि शाम 5 बजे वोटिंग प्रक्रिया समाप्त हो गई।

जंतर-मंतर पर पुलिस एक्शन...प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग की होगी जांच,सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित की

नई दिल्ली,20 अगस्त 2026। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में हुए छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई की जांच के लिए हाई पावर इन्क्वायरी कमेटी गठित की है। अदालत ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किए जाने के आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच आवश्यक है। कमेटी का उद्देश्य प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं और पुलिस की कार्रवाई से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल करना है।

याचिकाओं में लगाए गए गंभीर आरोप

यह मामला शैलेंद्र मणि त्रिपाठी और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस तथा सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर अत्यधिक बल का इस्तेमाल किया। शिकायतों में पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन, लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल का उल्लेख किया गया है। महिलाओं और बच्चों के साथ कथित मारपीट तथा बदसलूकी के आरोप भी लगाए गए हैं।

सरकार ने हिंसा और पुलिसकर्मियों पर हमले का पक्ष रखा...

दूसरी ओर, सरकार और पुलिस की ओर से अदालत में अलग पक्ष रखा गया। उनका कहना है कि प्रदर्शन में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान हिंसक घटनाएं हुईं और पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें भी आईं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गठित कमेटी केवल एक पक्ष की शिकायतों की जांच नहीं करेगी, बल्कि प्रदर्शन से जुड़े दोनों पक्षों के आरोपों और घटनाओं की निष्पक्ष पड़ताल करेगी।

पांच सदस्यीय हाई पावर कमेटी गठित...

सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए पांच सदस्यों वाली कमेटी बनाई है। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी होंगे। कमेटी में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि शंकर झा, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस शालिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त डीजीपी डॉ. एल.आर. बिश्नोई को सदस्य बनाया गया है।

कमेटी में शामिल प्रमुख सदस्य...

जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी कमेटी के चेयरपर्सन होंगे। जस्टिस रवि शंकर झा,जस्टिस शालिंदर कौर, पूर्व सीबीआई निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के पूर्व डीजीपी डॉ. एल.आर. बिश्नोई जांच टीम में सदस्य के रूप में काम करेंगे। अलग-अलग क्षेत्रों के अनुभवी अधिकारियों और न्यायाधीशों को शामिल किए जाने से जांच के व्यापक और निष्पक्ष तरीके से होने की उम्मीद है।

बल प्रयोग की जरूरत और तरीके की होगी जांच...

कमेटी यह जांच करेगी कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कितना बल इस्तेमाल किया और परिस्थितियों के हिसाब से वह उचित था या नहीं। पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन, लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की परिस्थितियों की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मी निर्धारित वर्दी और नाम की प्लेट में थे या नहीं, इस पहलू को भी जांच के दायरे में रखा गया है।

महिला प्रदर्शनकारियों की शिकायतों पर विशेष ध्यान...

सुप्रीम कोर्ट ने महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित हिंसा, बदसलूकी और छेड़छाड़ के आरोपों को गंभीरता से लिया है। अदालत ने कमेटी को इन शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर जांच शुरू करने और पहली अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के साथ सुरक्षा बलों के व्यवहार से जुड़े आरोपों की भी विस्तृत जांच की जाएगी।

पुलिस और सरकारी संपत्ति को नुकसान की भी जांच

अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच का दायरा केवल प्रदर्शनकारियों की शिकायतों तक सीमित नहीं रहेगा। कमेटी पुलिसकर्मियों पर हुए कथित हमलों, सरकारी एवं निजी संपत्ति को नुकसान और ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों को लगी चोटों की भी जांच करेगी। जरूरत पड़ने पर कमेटी फोरेंसिक, तकनीकी और अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकती है।

कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का दिल्ली में निधन,तिहाड़ जेल मे काट रहे थे उम्रकैद की सजा

नई दिल्ली,20 अगस्त। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का गुरुवार को निधन हो गया है। तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार को जेल में तबीयत खराब होने के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लाया गया था। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वह 80 वर्ष के थे। सज्जन कुमार 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद से उम्रकैद की सजा काट रहे थे। दिल्ली कैंट की पालम कॉलोनी में 5 सिखों की हत्या के बाद गुरुद्वारा जला दिया गया था। इस केस में सज्जन कुमार को दोषी पाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर, 2018 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सितंबर, 2023 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सुल्तानपुरी में 3 सिखों की हत्या मामले में बरी कर दिया था। 1 नवंबर, 1984 को सरस्वती विहार में सरदार जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या हुई थी। 12 फरवरी, 2025 को सज्जन कुमार को इस मामले में दोषी ठहराया गया। 25 फरवरी 2025 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 जनवरी 2026 को एक बड़ा फैसला सुनाया था। अदालत ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को जनकपुरी और विकासपुरी इलाकों में हुई हिंसा और दंगों के एक मामले में बरी कर दिया था। यह फैसला उस समय

आया था जब सज्जन कुमार पहले से ही दंगों के अन्य मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे थे। जनकपुरी और विकासपुरी मामले की पृष्ठभूमि में 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगों से जुड़ा है। 1 नवंबर 1984 को जनकपुरी में दो सिखों सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या कर दी गई थी। जिसे जनकपुरी कांड और 2 नवंबर 1984 को विकासपुरी कांड में गुरुचरण सिंह नाम के व्यक्ति को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था। इन मामलों में 2015 में केंद्र सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने नई एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि, 2023 में कोर्ट ने सज्जन कुमार को हत्या (302) और आपराधिक साजिश (120क्च) के आरोपों से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया था,लेकिन दंगों और भीड़ को उकसाने के आरोपों पर ट्रायल जारी रहा। ताजा फैसले में बरी होने के बावजूद सज्जन कुमार जेल में थे। इसके दो मुख्य कारण रहे। पहला दिल्ली हाईकोर्ट ने दिसंबर 2018 में राज नगर (पालम कॉलोनी) इलाके में 5 सिखों की हत्या के मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही फरवरी 2025 में एक अन्य निचली अदालत ने उन्हें सरस्वती विहार मामले (जसवंत सिंह और उनके बेटे की हत्या) में भी दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सज्जन कुमार फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। बता दें कि सज्जन कुमार भारतीय राजनीति के एक पूर्व चर्चित चेहरे और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। हालांकि, उनकी पहचान का एक बड़ा हिस्सा 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़ी कानूनी कार्रवाइयों और उनमें मिली सजाओं से भी जुड़ा है। राजनीतिक करियर की बात करें तो सज्जन कुमार दिल्ली की बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से तीन बार (1980, 1991 और 2004) कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए। सज्जन कुमार ने अपने करियर की शुरुआत एक पार्षद के रूप में की थी और वे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रहे। दिसंबर 2018 में, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें दंगों के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई।

प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के खुलासे के मामले में सुनवाई टली...

29 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली,20 अगस्त 2026। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री का खुलासा करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दिया है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने 29 सितंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया। आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सुनवाई दोपहर बाद करने की मांग की गई। तब कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या आप दोपहर बाद उपलब्ध हैं। तब मेहता ने कहा कि इस पर कल सुनवाई कर ली जाए। उसके बाद कोर्ट ने 29 सितंबर की तिथि नियत करने का आदेश दिया। इस पर मेहता ने कहा कि 29 सितंबर के पहले की तिथि नियत की जाए। तब कोर्ट ने कहा कि हमने अपना कैलेंडर चेक कर लिया है। इसके पहले 10 फरवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा था कि प्रधानमंत्री की डिग्री का खुलासा करने वाली याचिका केवल सनसनी पैदा करने के लिए दायर की गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। सुनवाई के दौरान मेहता ने आपत्ति दाखिल करने के लिए और समय देने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि याचिका दाखिल करने में देरी और याचिका के गुणों पर जवाब दाखिल करेंगे। बता दें कि 12 नवंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा था कि सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं तय समय सीमा के बाद दाखिल की गई हैं। कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया था कि वो देर से याचिकाएं दाखिल करने पर अपनी आपत्ति दाखिल करें।

झारखंड सरकार को हाईकोर्ट से झटका...जेपीएससी परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक

नई दिल्ली,20 अगस्त। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद जेपीएससीपरीक्षाओं को लेकर स्थिति बदल गई है। दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा से जुड़े मामलों में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने दोनों परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर काउंटर एफिडेविट के साथ अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद दोनों परीक्षा मामलों के याचिकाकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से काम पर वापस लिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर स्टे दिया, जिसके तहत दोनों परीक्षाओं से संबंधित कार्रवाई की गई थी। अब सरकार को कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष और संबंधित

दस्तावेज पेश करने होंगे। बता दें कि झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर 26 दिनों से चल रहा आंदोलन बुधवार को फिलहाल स्थगित हो गया। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के साथ कई दौर की बातचीत के बाद 2014 से अब तक झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और एक आउटसोर्स एजेंसी के जरिए आयोजित 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया। इसके अलावा 23 अन्य परीक्षाओं की जांच कराने का आदेश दिया गया है। लेकिन सरकार के फैसले से एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। करीब 2,000 सफल अभ्यर्थी, खासकर जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के जरिए सरकारी नौकरी पाने वाले उम्मीदवार, परीक्षा रद्द किए जाने का विरोध कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने परीक्षा पूरी मेहनत और योग्यता के आधार पर पास की है। अगर परीक्षा में किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो दोषी अभ्यर्थियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सभी सफल उम्मीदवारों को इसका खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। कई सफल अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया है। उनका कहना है कि परीक्षा पास करने के बाद उनकी नियुक्तियां हुई हैं।

धमतरी में रामगोपाल अग्रवाल के घर ईडी की रेड शराब-कोल और कस्टम मिलिंग घोटाले की जांच

धमतरी,20 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के धमतरी में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के आवास पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई कथित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मामले की जांच के तहत की जा रही है। ईडी की टीम गुरुवार सुबह ही उनके निवास पर पहुंची और इसके बाद घर के भीतर दस्तावेजों तथा अन्य रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी। कार्रवाई के दौरान टीम कई महत्वपूर्ण कागजात खंगाल रही है।

दो वाहनों में पहुंची ईडी की टीम

जानकारी के अनुसार,प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी दो अलग-अलग वाहनों से रामगोपाल अग्रवाल के घर पहुंचे। टीम के साथ सुरक्षा बल के जवान भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों समेत करीब आठ सदस्यीय टीम सुबह से ही आवास के अंदर जांच में जुटी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए घर के आसपास भी निगरानी बढ़ा दी गई है।

दस्तावेजों और रिकॉर्ड की चल रही जांच : ईडी की कार्रवाई के दौरान अधिकारियों की ओर से घर में मौजूद विभिन्न दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि जांच टीम ने किन विशेष कागजात या संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड को अपने दायरे में लिया है। एजेंसी की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही यह जानकारी सामने आने की संभावना है कि जांच में क्या महत्वपूर्ण तथ्य मिले हैं।

शराब,कोल और कस्टम मिलिंग मामलों से जुड़ी जांच...

बताया जा रहा है कि रामगोपाल अग्रवाल के आवास पर हुई यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ में जांच के दायरे में रहे कथित शराब घोटाले के अलावा कोल और कस्टम मिलिंग से जुड़े मामलों से भी संबंधित हो सकती है। इन मामलों को लेकर जांच एजेंसियां पहले भी राज्य में अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी और पूछताछ कर चुकी हैं।

रामगोपाल अग्रवाल लंबे समय से सार्वजनिक गतिविधियों से दूर

रिपोर्ट्स के अनुसार, रामगोपाल अग्रवाल पिछले करीब तीन वर्षों से सार्वजनिक रूप से सक्रिय नजर नहीं आए हैं। इस दौरान उनके देश और विदेश में होने को लेकर अलग-अलग चर्चाएं सामने आती रही हैं। जांच एजेंसियों की ओर से उनसे जुड़े मामलों में उनकी भूमिका और संबंधित लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रह चुके हैं अग्रवाल

रामगोपाल अग्रवाल कांग्रेस संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं और पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे हैं। कथित घोटालों से जुड़े मामलों की जांच के दौरान उनका नाम सामने आने के बाद से जांच एजेंसियों की गतिविधियों पर नजर बनी हुई है। हालांकि, मौजूदा ईडी कार्रवाई के संबंध में एजेंसी की ओर से जांच के निष्कर्ष या किसी तरह की अंतिम टिप्पणी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। फिलहाल रामगोपाल अग्रवाल के धमतरी स्थित आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की जांच जारी है। अधिकारी घर के भीतर दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की पड़ताल कर रहे हैं। सुरक्षा बलों की मौजूदगी के कारण आवास के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी गई है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच पूरी होने के बाद ईडी की ओर से क्या जानकारी सामने आती है और क्या इस कार्रवाई में कथित घोटालों से जुड़े कोई नए तथ्य सामने आते हैं।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 56 नए जजों को दी पहली पोस्टिंग

रायपुर,20 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य की अधीनस्थ न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाते हुए लोअर ज्यूडिशियल सर्विस कैडर में परिवीक्षा पर नियुक्त 56 सिविल जज जूनियर डिवीजन को पहली पदस्थापना का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश के तहत सभी नव-नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को 29 अगस्त 2026 तक अपने-अपने आवंटित पदस्थापना स्थल पर पहुंचकर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश की निचली अदालतों में मुकदमों के बढ़ते बोझ और न्यायिक अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की गई थी। इसके बाद राज्य शासन ने इन्हें परिवीक्षा पर नियुक्त किया था। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग जैसे बड़े शहरी केंद्रों के साथ-साथ बस्तर और सरगुजा संभाग के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में भी नए जजों की तैनाती की गई है। कुछ अधिकारियों को सीधे सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर और कुछ को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है।

रजिस्ट्रार जनरल के आधिकारिक निर्देश : हाईकोर्ट रजिस्ट्री की ओर से 19 अगस्त 2026 को जारी इस आदेश में सभी संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे नव-नियुक्त अधिकारियों से समय सीमा के भीतर कार्यभार ग्रहण कराएं। कार्यभार संभालने के तुरंत बाद उसकी विस्तृत चार्ज रिपोर्ट अनिवार्य रूप से हाईकोर्ट रजिस्ट्री को भेजी जाए। इसके साथ ही आदेश को पारदर्शिता के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) कंप्यूटर सेल के माध्यम से हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है।

न्यायिक प्रक्रिया पर पड़ेगा प्रभाव : अधीनस्थ अदालतों में 56 नए सिविल जजों की एक साथ तैनाती से छत्तीसगढ़ की संपूर्ण न्याय प्रणाली को नया बल मिलेगा। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के न्यायालयों में जजों की उपस्थिति से वर्षों से लंबित पड़े दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी। आम नागरिकों को समय पर न्याय मिलने से कोर्ट कचहरी के चक्करों से मुक्ति मिलेगी और जिला अदालतों में प्रकरणों के निस्तारण की दर में रिकॉर्ड सुधार दर्ज किया जाएगा।

संपादकीय

फरक्का समझौते से न हो देश को क्षति

फरक्का जल संधि के पिछले तीन दशकों के अनुभव और आंकड़े ठोस प्रमाण हैं कि बिहार को इससे बाढ़ और सुखाड़ की दोहरी मार झेलनी पड़ी है। सितंबर 1996 में तत्कालीन संयुक्त मोर्चा सरकार के विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल (जो बाद में प्रधानमंत्री बने) द्वारा प्रतिपादित गुजराल डाक्ट्रिन का मूल मंत्र था कि भारत को बड़ा दिल दिखाते हुए पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में एकतरफा रियायत देनी चाहिए। विडंबना यह रही कि इस नीति के तहत दिसंबर 1996 में बांग्लादेश को जल-अधिकार सौंपते वक्त जब बिहार के हितों की बलि चढ़ाई जा रही थी,तब मुख्यमंत्री लालू यादव मौन साधे रहे,जो संयुक्त मोर्चा के एक प्रभावी नेता थे।

केंद्र सरकार को बाहर से समर्थन दे रही कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी भी मूल रूप से बिहार के ही थे। यदि उसी समय संधि का विरोध हुआ होता,तो बिहार को बीते तीन दशकों में हुआ भारी नुकसान नहीं झेलना पड़ता। अब जबकि फरक्का जल संधि की 30 वर्षों की समयसीमा दिसंबर 2026 में समाप्त होने जा रही है,तब यह प्रश्न केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि व्यापक जनहित और जल-सुरक्षा के साथ-साथ राष्ट्रहित से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है।

गंगा बिहार के लिए केवल एक पवित्र नदी ही नहीं,अपितु करोड़ों लोगों की जीवनरेखा है। पेयजल, सिंचाई और उद्योग-धंधों के लिए पानी की उपलब्धता के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन तक गंगा के प्रवाह से जुड़ा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू से कहते रहे हैं कि फरक्का बराज के कारण गंगा की अविरलता बाधित हुई। नदी में गाद की भरमार बढ़ी है। जल संसाधन मंत्री रहते हुए मैंने भी फरक्का बराज की संरचना और जल संधि के प्रविधानों पर पुनर्विचार का केंद्र सरकार से अनुरोध किया था।

संधि के प्रविधानों के अनुसार फरक्का बराज पर शुष्क मौसम (लीन पीरियड) में 1500 क्यूमेक जलस्राव सुनिश्चित किया जाना है,जबकि इसे पूरा करने के लिए बिहार को बक्सर में औसतन मात्र 400 क्यूमेक जलस्राव ही उपलब्ध हो पाता है। यानी निर्धारित जलस्राव का 73 प्रतिशत बोझ बिहार को वहन करना पड़ता है,जबकि गंगा का 75 प्रतिशत जलग्रहण क्षेत्र बिहार के अपस्ट्रीम राज्यों में है। इससे बिहार के उस नैसर्गिक अधिकार का हनन होता है, जो उसे गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल उपयोग पर मिलना चाहिए। फरक्का बराज के निर्माण का उद्देश्य कोलकाता बंदरगाह और हुगली नदी में जल-प्रवाह बनाए रखना था। 1975 में बराज चालू होने के बाद गंगा की अविरलता बाधित हुई और अपस्ट्रीम में गाद की समस्या शुरू हो गई। आज बिहार में गंगा की लगभग पूरी 445 किमी लंबाई में अतिरिक्त गाद जमा है, जिससे नदी उथली होकर अपना मार्ग बदल रही है। मानसूनी वर्षा का जो पानी पहले गंगा की तलहटी में समा जाता था,अब आसपास के गांवों में बाढ़ लाता है। राज्य सरकार वर्षों से इस विषय पर केंद्र का ध्यान आकृष्ट कराती रही है, लेकिन राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति जैसी ठोस पहल अभी अमल में नहीं आ सकी है। इससे बिहार को जहां मानसून में बाढ़ की तबाही झेलनी पड़ती है,वहीं शुष्क मौसम में राज्य पानी की भारी किल्लत से भी जूझता है।

बदलती सामाजिक संवेदनाओं में वृद्धों को चाहिए उजाले

ललित गर्ग
पटपड़गंज, नई दिल्ली

विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस समाज के अंतर्मन को झक झोरने एवं वृद्धों की त्रासद स्थितियों पर सोचने को विवश करता है कि जिन हाथों ने परिवार की नींव रखी,जिन कंधों ने बच्चों के भविष्य का भार उठाया और जिन अनुभवों ने जीवन की अनेक कठिन राहों को पार करने में अगली पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया,उन्हीं वृद्ध माता-पिता को जीवन के अंतिम पड़ाव में अकेलापन,उपेक्षा,असुरक्षा और अपमान क्यों झेलना पड़ रहा है? निश्चित ही कहीं-न-कहीं हमारी सामाजिक संवेदना कमजोर हुई है। जिस समाज में बुजुर्गों का सम्मान सहज संस्कार होना चाहिए था,वहां उनके अधिकारों और सुरक्षा के लिए अलग से दिवस मनाना हमारी सामूहिक आत्मचिंता का विषय है। भारत तेजी से वृद्ध होती आबादी की ओर बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2050 तक भारत की आबादी में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की हिस्सेदारी लगभग 20 प्रतिशत हो सकती है,यानी हर पांच भारतीयों में लगभग एक वरिष्ठ नागरिक होगा। यह केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था के सामने आने वाली एक बड़ी चुनौती है। अधिक उम्र तक जीना मानव सभ्यता की उपलब्धि है,लेकिन यदि लंबी आयु के साथ अकेलापन,बीमारी,आर्थिक असुरक्षा और भावनात्मक उपेक्षा जुड़ जाए तो दीर्घ जीवन वरदान के बजाय बोझ जैसा अनुभव होने लगता है।

भारत की पारंपरिक संस्कृति में वृद्ध व्यक्ति परिवार के मुखिया,मार्गदर्शक और अनुभव के भंडार माने जाते थे। संयुक्त परिवार में उनकी भूमिका केवल निर्णय लेने तक सीमित नहीं थी,बल्कि वे परिवार की स्मृति,परंपरा और संस्कारों के जीवंत केंद्र होते थे। लेकिन तेजी से बदलती जीवन शैली,महानगरीय संस्कृति,रोजगार के लिए पलायन,छोटे परिवारों की प्रवृत्ति, उपभोक्तावाद और बढ़ती व्यक्तिवादी सोच ने इस व्यवस्था को बदल दिया है। आज कई वृद्ध अपने ही घर में रहते हुए भी भावनात्मक रूप से अकेले हैं। उनके पास रहने को छत है,लेकिन संवाद के लिए कोई अपना नहीं;परिवार है,लेकिन समय नहीं;संतान है,लेकिन अपनापन कम होता जा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस वृद्ध ने जीवनभर परिवार को अपने केंद्र में रखा,सेवानिवृत्ति के बाद वही परिवार उसे अपने केंद्र से बाहर करने लगता है। नौकरी में रहते हुए जिस व्यक्ति की सलाह महत्वपूर्ण थी,नौकरी से मुक्त होते ही उसकी उपयोगिता जैसे समाप्त मान ली जाती है।

प्रकाशकः दैनिक घटती-घटना

वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या इसी बदलती सामाजिक संरचना का संकेत है। हर वृद्धाश्रम दुःख की कहानी नहीं है; कुछ स्थानों पर वे अकेले और असहाय वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षा और देखभाल का महत्वपूर्ण माध्यम भी हैं। लेकिन जब वृद्धाश्रम उन माता-पिता का अंतिम ठिकाना बन जाए जिन्हें सक्षम संतान केवल इसलिए घर से दूर कर देती है कि वे आधुनिक जीवन की सुविधाओं के बीच 'असुविधा' बन गए हैं, तब प्रश्न केवल परिवार का नहीं, पूरे समाज के संस्कारों का बन जाता है। संपत्ति अपने नाम कराने के बाद माता-पिता से दूरी बना लेना,उनकी बीमारी को बोझ समझना या उन्हें केवल घरेलू जिम्मेदारियों के लिए उपयोग करना ऐसी प्रवृत्तियां हैं,जिन पर समाज को गंभीर आत्ममंथन करना चाहिए। यह भी सच है कि वृद्धावस्था की समस्या केवल युवाओं की संवेदनहीनता से पैदा नहीं होती। वरिष्ठ नागरिकों को भी बदलते समय के साथ स्वयं को बदलना होगा। नई पीढ़ी की स्वतंत्रता,निजी निर्णय और जीवनशैली को समझना होगा। अनावश्यक हस्तक्षेप से बचते हुए अपने अनुभव को आदेश नहीं,मार्गदर्शन के रूप में प्रस्तुत करना होगा। उम्र बढ़ना स्वाभाविक है,लेकिन मन का बूढ़ा हो जाना अनिवार्य नहीं। वरिष्ठ नागरिक यदि सामाजिक गतिविधियों,अध्ययन,सेवा, आध्यात्मिकता,सामुदायिक कार्यक्रमों और रचनात्मक कार्यों से जुड़े रहें तो उनका जीवन अधिक सक्रिय,सार्थक और आनंदपूर्ण बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कल आया फैसला बुजुर्गों के लिए कानूनी संजीवनी की तरह है जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि संतान माता-पिता की देखभाल और भरण-पोषण की जिम्मेदारी निभाने में विफल रहती है,तो वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति और सम्मान की रक्षा के लिए कानून के तहत बच्चों को उस संपत्ति से बेदखल करने का रास्ता खुला है।

सरकार की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। विशेष रूप से 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आय की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज देना एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार के अनुसार अक्टूबर 2024 में शुरू हुए इस विस्तार से लगभग छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है;जून 2026 तक योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कवरेज का दायरा इसी दिशा में आगे बढ़ाया गया है। इसी प्रकार अटल वयो अभ्युदय योजना का उद्देश्य केवल वृद्धों को आश्रय देना नहीं,बल्कि स्वास्थ्य, पोषण,सुरक्षा,आवास,सक्रिय एवं उत्पादक वृद्धावस्था,कौशल,परिवहन तथा पीढ़ियों के बीच संबंधों को मजबूत करना भी है। योजना में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता,वृद्धाश्रम,सहायक उपकरण,सक्रिय वृद्धावस्था और अनुभव आधारित रोजगार जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है। ये प्रयास महत्वपूर्ण हैं,लेकिन सरकारी योजनाओं की सफलता अंततः उनके अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी पहुंचने पर निर्भर करती है। पेंशन,स्वास्थ्य सुविधा,डिजिटल सेवाओं और कानूनी संरक्षण को अधिक सरल, सुलभ और स्थानीय स्तर पर प्रभावी बनाना अभी भी आवश्यक है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए आर्थिक सुरक्षा जितनी जरूरी है,उससे कहीं अधिक जरूरी भावनात्मक सुरक्षा है। पैसा दवा खरीद सकता है,लेकिन अकेलेपन का उपचार नहीं कर सकता। अस्पताल शरीर का इलाज कर सकता है, लेकिन उपेक्षा से घायल मन का उपचार परिवार का प्रेम ही कर सकता है। इसलिए वृद्ध कल्याण को केवल सरकारी योजना या पेंशन के दायरे में नहीं देखा जा सकता। परिवार को यह समझना होगा कि वृद्ध माता-पिता को केवल भोजन और दवा नहीं चाहिए;उन्हें बातचीत चाहिए, सम्मान चाहिए,निर्णयों में सहभागिता चाहिए और यह भरोसा चाहिए कि वे परिवार के लिए अब भी महत्वपूर्ण हैं। आज की युवा पीढ़ी को यह बात विशेष रूप से समझनी होगी कि माता-पिता का वर्तमान हमारे भविष्य का संकेत है। जो व्यवहार हम आज अपने वृद्ध माता-पिता के साथ करेंगे,आने वाला समय उसी व्यवहार को हमारे सामने खड़ा करेगा। आज हम युवा हैं;कल हम वृद्ध होंगे। आज जिन आंखों को हम अनदेखा कर रहे हैं,कल उन्हीं जैसी आंखों में हमारी अपनी संतानों के व्यवहार का प्रतिबिंब दिखाई दे सकता है। इसलिए वृद्धों की सेवा दया नहीं,कर्तव्य है;उनका सम्मान उपकार नहीं, संस्कार है।

विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस की वास्तविक सार्थकता तभी होगी जब यह एक दिन का आयोजन न रहकर जीवन की स्थायी दृष्टि बने। परिवार में सप्ताह में एक दिन नहीं,प्रतिदिन संवाद हो;समाज में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सक्रिय सामुदायिक मंच हों;स्थानीय संस्थाएं उन्हें ज्ञान,अनुभव और सेवा के अवसर दें;सरकार स्वास्थ्य,पेंशन और सुरक्षा की व्यवस्थाओं को मजबूत करे और युवा पीढ़ी अपनी सोच में परिवर्तन लाए। वृद्धावस्था जीवन की संध्या है,लेकिन संध्या का अर्थ अंधेरा नहीं होता। वह दिनभर की यात्रा के बाद सुनहरी रोशनी का समय भी हो सकती है। आवश्यकता केवल इतनी है कि परिवार उस रोशनी को बुझने न दे। हमारे वृद्ध जीवन के बीते हुए पन्ने नहीं,आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुभव की खुली किताब हैं। यदि हम उनके अंतिम वर्षों को भय, अकेलेपन और उपेक्षा से भर देंगे तो हम केवल उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे, बल्कि अपनी सभ्यता और संस्कारों को भी कमजोर करेंगे। इसलिए आज संकल्प होना चाहिए-वृद्धों के जीवन में अंधेरा नहीं,सम्मान का उजाला हो; अकेलापन नहीं,अपनापन हो;उपेक्षा नहीं, सहभागिता हो और शेष जीवन बोझ नहीं, आनंद एवं गरिमा का उत्सव बने। यही विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस का वास्तविक संदेश और हमारी सबसे बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है।

झुर्रियों में छिपा अनुभव समाज की सबसे अनमोल विरासत

जिन्होंने हमें संभाला,अब उन्हें संभालने की हमारी बारी

योगेश कुमार गोयल
नजफगढ़, नई दिल्ली

किसी भी परिवार की वास्तविक समृद्धि केवल उसकी आर्थिक संपन्नता से नहीं बल्कि उसके बुजुर्गों की मौजूदगी, अनुभव और आशीर्वाद से मापी जाती है। उम्र के साथ शरीर भले ही कमजोर हो जाए लेकिन जीवन के दशकों से अर्जित अनुभव,धैर्य,दूरदृष्टि और रिश्तों को संभालने की क्षमता किसी अमूल्य धरोहर से कम नहीं होती। वरिष्ठ नागरिक केवल परिवार के अतीत के साक्षी नहीं बल्कि वर्तमान के मार्गदर्शक और भविष्य के लिए अनुभव की जीवंत पाठशाला होते हैं। इसी भाव को केंद्र में रखकर 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में बुजुर्गों के सम्मान,उनकी समस्याओं और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता का अवसर माना जाता है। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 19 अगस्त 1988 को एक घोषणा पर हस्ताक्षर कर 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मान्यता दी थी। वृद्धावस्था जीवन का वह पड़ाव है, जिसमें व्यक्ति को सबसे अधिक जरूरत होती है सम्मान की,अपनत्व की, सुरक्षा की और यह महसूस करने की कि समाज में उसकी उपयोगिता अभी समाप्त नहीं हुई है। आधुनिक जीवनशैली,तेजी से बढ़ता शहरीकरण, रोजगार के लिए पलायन और संयुक्त परिवारों के कमजोर पड़ते ढ़ांचे ने बुजुर्गों के सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। कई वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक बीमारियों के साथ अकेलेपन,आर्थिक असुरक्षा,डिजिटल दुनिया से दूरी,सामाजिक अलगाव और भावनात्मक उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र भी बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य,सामाजिक सुरक्षा,आवास, परिवहन,परिवार और सामाजिक संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों को महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौती मानता है। दुनिया में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 1980 के लगभग 26 करोड़ से बढ़कर 2021 में 76.1 करोड़ हो गई थी और 2050 तक वैश्विक आबादी में उनका हिस्सा लगभग 17 प्रतिशत पहुंचने का अनुमान है।

भारत के संदर्भ में यह चुनौती और अधिक महत्वपूर्ण है। देश में जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है और वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में वृद्धावस्था को बोझ की तरह देखने के बजाय इसे जीवन के सक्रिय, सम्मानजनक और उत्पादक चरण के रूप में स्वीकार करना होगा। केंद्र सरकार की अटल वयो अभ्युदय योजना का उद्देश्य भी वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवास एवं देखभाल सेवाएं,राज्य कार्य योजनाएं,सहायक उपकरण तथा सक्रिय एवं स्वस्थ वृद्धावस्था से जुड़े विभिन्न घटक शामिल हैं। भारत में 2026 तक 60 वर्ष से अधिक आयु की आबादी लगभग 17.3 करोड़ पहुंचने का अनुमान लगाया है। वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वृद्धावस्था में नियमित आय का स्रोत समाप्त होने अथवा कम होने से जीवनयापन कठिन हो सकता है। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं महत्वपूर्ण सहारा बनती हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन जैसी व्यवस्थाएं जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करती हैं। इसके साथ ही बैंकिंग और पेंशन व्यवस्था तक आसान पहुंच, वित्तीय साक्षरता तथा डिजिटल लेन-देन में सुरक्षित प्रशिक्षण भी आज की आवश्यकता है क्योंकि साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों में वरिष्ठ नागरिक विशेष रूप से संवेदनशील हो सकते हैं।

स्वास्थ्य वरिष्ठ नागरिकों की सबसे बड़ी जरूरतों में शामिल है। उम्र बढ़ने के साथ मधुमेह,उच्च रक्तचाप,हृदय रोग,गठिया,दृष्टि संबंधी समस्याएं,सुनने की क्षमता में कमी और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों का जोखिम बढ़ सकता है। भारत सरकार का 'नेशनल प्रोग्राम फॉर हैल्थ केयर ऑफ द एल्डरली' वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुलभ,किफायती और समग्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य संवर्धन,रोकथाम,रोगों का निदान एवं उपचार,पुनर्वास,डे-केयर तथा जरूरत के अनुसार घर पर देखभाल जैसी सेवाओं की परिकल्पना की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए केवल चिकित्सा सुविधा पर्याप्त नहीं है, उन्हें सामाजिक और भावनात्मक सुरक्षा भी चाहिए। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा,आर्थिक शोषण और अकेलापन ऐसी समस्याएं हैं,जिन पर परिवार और समाज दोनों को गंभीरता से विचार करना होगा। किसी बुजुर्ग की बात को इसलिए खारिज कर देना कि वे पुराने विचारों के हैं,उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है। नई पीढ़ी और वरिष्ठ पीढ़ी के बीच संवाद की कमी अनेक पारिवारिक तनावों को जन्म देती है। आवश्यकता इस बात की है कि घरों में बुजुर्गों को निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए,उनकी राय सुनी जाए और उनके अनुभवों को सम्मान दिया जाए।

डिजिटल युग में वरिष्ठ नागरिकों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना भी जरूरी है। मोबाइल बैंकिंग,डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाएं,सरकारी पोर्टल और वीडियो कॉल जैसी सुविधाएं उनके जीवन को आसान बना सकती हैं लेकिन डिजिटल जानकारी के अभाव में वे ठगी का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए परिवार के युवा सदस्यों को चाहिए कि वे बुजुर्गों को तकनीक से दूर रखने के बजाय उन्हें सुरक्षित डिजिटल व्यवहार सिखाएं,जैसे ओटीपी साझा न करना, अनजान लिंक पर क्लिक न करना,बैंक संबंधी जानकारी किसी को न देना और संदिग्ध कॉल की सूचना तुरंत संबंधित संस्था को देना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुजुर्गों की देखभाल को केवल सरकारी योजनाओं का विषय नहीं बनाया जा सकता।

सरकार सामाजिक सुरक्षा दे सकती है,स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित कर सकती है और कानून बना सकती है लेकिन बुजुर्गों को वास्तविक अपनापन परिवार ही दे सकता है। दिन में कुछ मिनट उनके साथ बैठना, उनकी बातें सुनना,उनके साथ भोजन करना,उन्हें बाहर घुमाना,उनकी दवाओं और स्वास्थ्य जांच का ध्यान रखना तथा उनकी पसंद-नापसंद का सम्मान करना किसी महंगी सुविधा से अधिक मूल्यवान हो सकता है।

स्कूलों में छात्राओं से छेड़खानी

शिक्षा के मंदिर में भरोसे का संकट

डॉ. प्रियंका सौरभ
हिसार,हरियाणा

स्कूल केवल पढ़ाई की जगह नहीं होते। वे बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण,संस्कार, अनुशासन और सुरक्षित भविष्य की नींव रखते हैं। माता-पिता जब अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं तो उनके मन में यह विश्वास होता है कि शिक्षक उनके बच्चे को ज्ञान देने के साथ-साथ उसकी सुरक्षा और गरिमा का भी ध्यान रखेंगे। लेकिन जब इसी भरोसे की आड़ में किसी शिक्षक द्वारा छात्रा के साथ छेड़खानी,अनुचित व्यवहार या यौन उत्पीड़न की घटना सामने आती है,तो चोट केवल एक बच्ची को नहीं लगती; पूरा शैक्षणिक तंत्र कटघरे में खड़ा हो जाता है।

विद्यालयों में छात्राओं के साथ शिक्षकों द्वारा अनुचित व्यवहार की खबरें समय-समय पर सामने आती रही हैं। हर घटना की प्रकृति और तथ्य अलग हो सकते हैं, इसलिए किसी व्यक्ति को केवल आरोप के आधार पर दोषी ठहराना उचित नहीं है। लेकिन शिकायत सामने आने के बाद उसे दबा देना,बच्ची को चुप कराने की कोशिश करना या संस्थान की प्रतिष्ठा बचाने के लिए मामले को टालना उससे भी अधिक गंभीर समस्या है। किसी भी विद्यालय की प्रतिष्ठा बच्चों की सुरक्षा से बड़ी नहीं हो सकती।

शिक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता मूलतः विश्वास पर आधारित होता है। एक शिक्षक के पास ज्ञान के साथ-साथ अधिकार भी होता है। छात्र शिक्षक की बात को स्वाभाविक रूप से महत्व देता है और कई बार उसे अपने माता-पिता के बाद सबसे विश्वसनीय वयस्क मानता है। यही कारण है कि यदि कोई शिक्षक इस विश्वास और अधिकार का दुरुपयोग करता है तो बच्ची के लिए विरोध करना आसान नहीं होता। किशोरावस्था में बच्चे कई बार यह समझ ही नहीं पाते कि किसी वयस्क का व्यवहार सामान्य है या अनुचित। डर,शर्म,सामाजिक दबाव, परीक्षा और भविष्य को लेकर चिंता तथा यह भय कि उनकी बात पर विश्वास किया जाएगा या नहीं–उन्हें शिकायत करने से रोक सकते हैं। इसलिए केवल यह पूछना कि बच्ची ने पहले शिकायत क्यों नहीं की? पर्याप्त नहीं है। असली सवाल यह होना चाहिए कि क्या विद्यालय ने ऐसा सुरक्षित वातावरण बनाया है जिसमें बच्ची बिना डर अपनी बात कह सके?

ऐसे मामलों में सबसे खतरनाक तत्व अक्सर चुप्पी होती है। कई परिवार सामाजिक बदनामी के डर से शिकायत नहीं करना चाहते। कुछ लोग यह सोचकर मामले को दबा देते हैं कि बच्ची की पढ़ाई प्रभावित होगी। विद्यालय प्रशासन भी कभी-कभी संस्थान की छवि खराब होने की चिंता में शिकायत को आंतरिक स्तर पर समाप्त करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ऐसी चुप्पी गलत व्यवहार को बढ़ावा दे सकती है। यदि किसी बच्ची की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जाता तो उसे यह संदेश मिल सकता है कि उसकी सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण संस्थान की प्रतिष्ठा है। यह संदेश किसी भी सभ्य समाज के लिए बेहद चिंताजनक है।

इसलिए अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन को यह समझना होगा कि शिकायत करना बदनामी नहीं,बल्कि सुरक्षा की दिशा में उठाया गया कदम है। आरोप की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोष सिद्ध होने पर कानून तथा संस्थागत नियमों के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। विद्यालय प्रशासन की भूमिका केवल घटना होने के बाद कार्रवाई करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। सुरक्षा की व्यवस्था पहले से मजबूत होनी चाहिए। शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के दौरान उचित सत्यापन, स्पष्ट आचार-संहिता,विद्यार्थियों के साथ व्यवहार के नियम तथा शिकायत की सुरक्षित व्यवस्था आवश्यक है।

विद्यालयों में बच्चों को यह बताया जाना चाहिए कि अच्छा और अनुचित स्पर्श क्या होता है,असहज व्यवहार की पहचान कैसे करें और किसी विश्वसनीय वयस्क को इसकी जानकारी कैसे दें। यह शिक्षा केवल छात्राओं के लिए नहीं, बल्कि सभी बच्चों के लिए होनी चाहिए। उन्हें यह भी समझाया जाना चाहिए कि किसी भी अनुचित व्यवहार के लिए वे स्वयं जिम्मेदार नहीं हैं। स्कूलों में ऐसी शिकायत व्यवस्था होनी चाहिए जहां बच्चा बिना भय के अपनी बात रख सके। महिला शिक्षक,प्रशिक्षित काउंसलर या अन्य विश्वसनीय वयस्क की उपलब्धता इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत में बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने के लिए POCSO Act, 2012 मौजूद है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ यौन अपराधों के मामलों में यह कानून महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। विद्यालयों और उनके कर्मचारियों को इस कानून की मूलभूत जानकारी होना आवश्यक है। किसी गंभीर शिकायत को केवल विद्यालय का आंतरिक मामला मानकर दबा देना उचित नहीं है।

इंटरनेट,सोशल मीडिया और तनाव : मानसिक रोगों की ओर बढ़ते बच्चे और बुजुर्ग.

संजीव ठाकुर,रायपुर छत्तीसगढ़

अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि डिजिटल मीडिया के लाभ हैं,लेकिन अत्यधिक या अनुचित उपयोग नींद, शारीरिक गतिविधि और भावनात्मक-सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है। इसलिए केवल स्क्रीन के घंटे गिनने के बजाय यह देखना जरूरी है कि बच्चा क्या देख रहा है,कब देख रहा है और उसकी वजह से कौन-सी स्वस्थ गतिविधियाँ छूट रही हैं।मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समस्या केवल मोबाइल हाथ में होने की नहीं है। समस्या तब गंभीर होती है जब बच्चा मोबाइल के बिना बेचैन हो,पढ़ाई और खेल में रुचि खोने लगे,परिवार से संवाद कम कर दे,रात में देर तक जागे अथवा वास्तविक दुनिया की तुलना में आभासी दुनिया को अधिक महत्वपूर्ण मानने लगे। आज का मनुष्य तकनीक के ऐसे युग में प्रवेश कर चुका है,जहाँ मोबाइल केवल बातचीत का माध्यम नहीं रहा,कंप्यूटर केवल काम करने का उपकरण नहीं रहा और इंटरनेट केवल जानकारी प्राप्त करने का साधन नहीं रहा। ये सब धीरे-धीरे हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। सुबह आँख खुलने से लेकर रात सोने तक मोबाइल की स्क्रीन हमारे साथ रहती है। बच्चों के हाथों में मोबाइल है,युवाओं के सामने सोशल मीडिया है और बुजुर्गों के पास अक्सर अकेलेपन को भरने के लिए टेलीविजन,मोबाइल और इंटरनेट हैं। तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है,लेकिन प्रश्न यह है कि कहीं सुविधा धीरे-धीरे हमारी संवेदना और मानसिक शांति की कीमत पर तो नहीं आ रही? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अकेलापन और सामाजिक अलगाव आज एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन चुके हैं। दुनिया में लगभग हर छह में से एक व्यक्ति अकेलेपन का अनुभव करता है। बुजुर्गों में अकेलापन मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। आज बहुत से बच्चों के खेल का मैदान मोबाइल की स्क्रीन बन गया है। मिट्टी में खेलने,पेड़ के नीचे बैठने,दोस्तों के साथ दौड़ने और परिवार के बुजुर्गों से कहानियाँ सुनने की जगह मोबाइल गेम,वीडियो और सोशल मीडिया ने ले ली है। बच्चे जितनी जल्दी डिजिटल दुनिया से जुड़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से उनके जीवन से कुछ प्राकृतिक गतिविधियाँ कम होती जा रही हैं। शारीरिक खेल, रचनात्मक गतिविधियाँ, प्रत्यक्ष संवाद और प्रकृति के साथ समय बिताना बच्चे के भावनात्मक तथा सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विडंबना देखिए सोशल मीडिया ने हमें हजारों लोगों से जोड़ दिया,लेकिन कभी-कभी अपने ही घर के लोगों से दूर कर दिया। एक ही कमरे में बैठे चार लोग चार अलग-अलग स्क्रीन में व्यस्त दिखाई देते हैं। परिवार साथ है, लेकिन संवाद अनुपस्थित है। बच्चे माता-पिता से बात करने के बजाय स्क्रीन से बात कर रहे हैं और माता-पिता बच्चों की बात सुनने के बजाय स्वयं मोबाइल में व्यस्त हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने माता-पिता के अत्यधिक डिजिटल उपयोग से उत्पन्न उस स्थिति की ओर भी ध्यान दिलाया है जिसमें माता-पिता की डिजिटल व्यस्तता बच्चों के साथ मौखिक और भावनात्मक संवाद को कम कर देती है। इसे 'टेक्नोफेरेंस' कहा जाता है।बच्चे को केवल यह कहना पर्याप्त नहीं कि 'मोबाइल छोड़ दो'। यदि माता-पिता स्वयं लगातार मोबाइल में व्यस्त रहेंगे तो बच्चे को स्वस्थ डिजिटल व्यवहार का आदर्श कहाँ से मिलेगा?

दूसरी ओर हमारे बुजुर्गों की समस्या अलग है। परिवार छोटे होते गए, संयुक्त परिवार टूटते गए,बच्चे रोजगार और शिक्षा के कारण दूर चले गए और बुजुर्ग कई बार अपने ही घर में अकेले रह गए। ऐसे में मोबाइल और टेलीविजन उनका साथी बन जाते हैं। वे समाचार देखते हैं, धार्मिक कार्यक्रम देखते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो देखते हैं और घंटों मोबाइल चलाते हैं। यह उपयोग हमेशा बुरा नहीं है। डिजिटल माध्यम दूर बैठे बच्चों और रिश्तेदारों से संपर्क बनाए रखने का अच्छा माध्यम भी बन सकता है। लेकिन जब स्क्रीन वास्तविक संवाद का विकल्प बन जाए और व्यक्ति दिन का अधिकांश समय समाचार, वीडियो या सोशल मीडिया में बिताने लगे, तब समस्या पैदा होती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सामाजिक संबंध मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बुजुर्गों में सामाजिक अलगाव और अकेलापन अवसाद तथा अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को बढ़ा सकते है विश्व स्वास्थ्य संगठन के जुलाई 2026 के तथ्य-पत्र के अनुसार लगभग 15 प्रतिशत 70 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क किसी ना किसी मानसिक विकार के साथ जीवन जीते हैं।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
सम्पादक

सरगुजा की सड़कों पर गड्ढे देखकर पवन साय का 'पारा हाई',मंत्री-नेताओं को फटकार...

सीतापुर में गाड़ी फंसी तो उखड़े...अंबिकापुर की बदहाल सड़कें देखकर सातवें आसमान पर पहुंचा गुस्सा,बोले...मंत्री बन गए हो,सड़कें तो बनवाओ

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा की बदहाल सड़कों को लेकर अब नाराजगी विपक्ष ही नहीं,सत्ताधारी भाजपा के भीतर भी दिखाई देने लगी है। प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री पवन साय के अंबिकापुर दौरे के दौरान बुधवार रात और गुरुवार सुबह सड़कों की स्थिति को लेकर कथित तौर पर नेताओं और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को जमकर फटकार लगाने की चर्चा राजनीतिक गलियारों में गर्म है। बताया जा रहा है कि 19 अगस्त को जशपुर से अंबिकापुर की ओर आते समय सीतापुर क्षेत्र में उनकी गाड़ी सड़क के गड्ढे में फंस गई। इसके बाद जब अंबिकापुर पहुंचने पर लुचकी घाट से खरसिया नाका तक सड़क की बदहाली सामने आई तो उनकी नाराजगी और बढ़ गई। शहर की सड़कें देखकर संगठन महामंत्री ने स्थानीय भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों से जवाब-तलब किया।

सब ठेकेदार बन गए हैं, संगठन का काम कौन करेगा?

सूत्रों के अनुसार रात में सर्किट हाउस पहुंचने के बाद पवन साय ने भाजपा जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश पदाधिकारियों के समक्ष सड़कों और जनसमस्याओं को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कथित तौर पर नेताओं से कहा कि 'सभी ठेकेदार बन गए हैं, संगठन का काम कौन करेगा और जनता का काम कौन करेगा? जाओ जेसीबी लेकर सड़क का काम करवाओ।' भाजपा नेताओं के बीच इस कथित फटकार की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि लंबे समय से अंबिकापुर और सरगुजा की सड़कों को लेकर जनता सवाल उठाती रही है। जगह-जगह गड्ढे,उखड़ी सड़कें और बारिश के बाद बढ़ती परेशानी आम लोगों के लिए रोजमर्रा की चुनौती बनी हुई है।

गड्ढों में फंस रही गाड़ियां,जिम्मेदारी भी कहीं फंस गई : अंबिकापुर की सड़कों की हालत पर सवाल लंबे समय से उठ रहे हैं। बारिश में गड्ढों में पानी भर जाने से वाहन चालकों को सड़क की वास्तविक स्थिति का अंदाजा तक नहीं लग पाता। दोपहिया वाहन चालकों और स्कूली बच्चों के लिए स्थिति और जोखिमभरी हो जाती है। ऐसे में सवाल सिर्फ भाजपा या कांग्रेस का नहीं, जनता की सुरक्षा का है। सड़क निर्माण और मरम्मत पर सरकारी बजट खर्च होने के बावजूद यदि कुछ ही समय बाद सड़कें फिर उखड़ जाएं तो गुणवत्ता और निगरानी पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

मंत्री राजेश अग्रवाल से भी नाराजगी की चर्चा

20 अगस्त की सुबह मंत्री राजेश अग्रवाल के साथ मुलाकात के दौरान भी सड़कों को लेकर पवन साय की नाराजगी सामने आने की बात कही जा रही है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने मंत्री से कहा कि 'मंत्री बन गए हो,अंबिकापुर की सड़क जर्जर है,सीतापुर की सड़क जर्जर है,आखिर कर क्या रहे हो? जाकर सड़क बनवाओ।' हालांकि इन कथित बातचीत की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। वहीं यह भी चर्चा है कि सरगुजा के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी से फोन पर सड़क और अन्य जनसमस्याओं को लेकर बातचीत की गई।

पोस्टर बड़े,सड़कें छोटी क्यों?

सरगुजा में राजनीतिक कार्यक्रमों और नेताओं के स्वागत के बड़े-बड़े पोस्टर भले ही नजर आते हों,लेकिन शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सड़क की हालत देखकर आम आदमी का सवाल सीधा है-'पोस्टर लगने से सड़क बनेगी या सड़क के लिए भी किसी दौरे का इंतजार करना पड़ेगा?' संगठन महामंत्री के दौरे में सड़कों को लेकर हुई कथित नाराजगी ने भाजपा के स्थानीय नेताओं के लिए असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर जिन जनप्रतिनिधियों और संगठन पदाधिकारियों को जनता की समस्याएं सबसे पहले पता चलनी चाहिए, उन्हें सड़क की बदहाली का अहसास कराने के लिए बाहर से आए संगठन महामंत्री की गाड़ी को गड्ढे में फंसना क्यों जरूरी हो गया?

आज नेताओं की बैठक, कल जनता का सवाल

पवन साय सरगुजा दौरे के दौरान जिला पदाधिकारियों,विधायक और सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बैठक में संगठन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी नेताओं को कड़ी नसीहत दी गई है। चर्चा यह भी है कि सरगुजा से भाजपा संगठन में कई नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं। ऐसे में संगठन महामंत्री ने कथित तौर पर सवाल उठाया कि यदि स्थानीय नेता आमजन की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं होंगे तो प्रदेश स्तर पर संगठन को मजबूत कैसे किया जाएगा? राजनीति में जनता के बीच जाने के लिए सड़क चाहिए और जनता की समस्याएं समझने के लिए उन्हीं सड़कों पर चलना भी पड़ता है। लेकिन जब सड़क ही गड्ढों में बदल जाए तो विकास के दावों की असली परीक्षा वहीं शुरू होती है। अब देखना यह है कि पवन साय की फटकार के बाद गड्ढे सिर्फ अस्थायी तौर पर भरे जाते हैं या अंबिकापुर-सरगुजा की सड़कों की स्थायी और गुणवत्तापूर्ण मरम्मत होती है। क्योंकि जनता को गड्ढे भरने की फोटो नहीं,चलने लायक सड़क चाहिए।

फटकार के बाद शुरू हुई गड्ढा भराई?

सूत्रों के मुताबिक संगठन महामंत्री की नाराजगी के बाद स्थानीय स्तर पर कुछ ठेकेदारों को सड़क के गड्ढे भरने के लिए सक्रिय होने को कहा गया है। यदि ऐसा है तो सवाल यह है कि जनता की शिकायतों के बाद जो काम महीनों से नहीं हुआ,वह एक नेता की नाराजगी के बाद अचानक क्यों शुरू हो रहा है? जनता को किसी नेता के दौरे या फटकार का इंतजार नहीं होना चाहिए। सड़क जैसी मूलभूत सुविधा के लिए नियमित निरीक्षण,गुणवत्तापूर्ण निर्माण और समय पर मरम्मत व्यवस्था प्रशासन की जिम्मेदारी है।

कामयाबी के लिए मेहनत,आत्मविश्वास और साहस जरूरी: पर्वतारोही समीरा खान

मॉन्टफोर्ट स्कूल में साइकिल यात्रा पर निकली पर्वतारोही का आत्मीय स्वागत, विद्यार्थियों से साझा किए रोमांचक सफर के अनुभव

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

लक्ष्य बड़ा हो तो रास्ते में आने वाली मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। जरूरत है तो सिर्फ मेहनत,अनुशासन,आत्मविश्वास और साहस की। यह संदेश आंध्र प्रदेश के अनंतपुर निवासी प्रसिद्ध पर्वतारोही एवं सोलो साइक्लिंग एक्टिविस्ट समीरा खान ने गुरुवार को मॉन्टफोर्ट स्कूल अंबिकापुर में विद्यार्थियों को दिया। डीजीपी छत्तीसगढ़ के निर्देश एवं पुलिस अधीक्षक सरगुजा के मार्गदर्शन में अंबिकापुर पहुंचीं समीरा खान का मॉन्टफोर्ट स्कूल में आत्मीय स्वागत किया गया। वर्तमान में वे दस राज्यों की साइकिल यात्रा पर हैं। उनके अभियान का उद्देश्य ग्रामीण बालिकाओं के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और शिक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश लोगों तक पहुंचाना है।

मुश्किलों से डरना नहीं, रास्ता बनाना है : विद्यालय में आयोजित विशेष कार्यक्रम में समीरा खान ने विद्यार्थियों से अपनी साहसिक यात्राओं और पर्वतारोहण के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए केवल सपना देखना पर्याप्त नहीं है,बल्कि उसके लिए लगातार मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि विपरीत परिस्थितियां सफलता की राह में रुकावट जरूर बन सकती हैं,लेकिन उन्हें मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकतीं। इसके लिए अपनी क्षमता पर विश्वास रखना और चुनौतियों का साहस के साथ सामना करना जरूरी है।

'मिशन माउंट एवरेस्ट' से लेकर साइकिल यात्रा तक : समीरा खान अपने 'मिशन माउंट एवरेस्ट' अभियान के लिए जानी जाती हैं। वे कई पर्वत चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुकी हैं। ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के संदेश को लेकर वे कई देशों की साइकिल यात्रा भी कर चुकी हैं। उनकी कहानी सुनकर विद्यार्थियों में भी उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने उनकी यात्रा और संघर्ष से जुड़े विभिन्न पहलुओं को जानने में रुचि दिखाई।

पुष्पगुच्छ और शॉल से किया सम्मान : कार्यक्रम में विद्यालय की कोऑर्डिनेटर ममता तिवारी,संगीता पाण्डेय एवं बरखा गोस्वामी ने पर्वतारोही समीरा खान का पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंट कर स्वागत किया। इसी अवसर पर गांधीनगर थाना के एसआई अभय तिवारी का भी नितिन कर्ष द्वारा शॉल एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। विद्यालय के प्राचार्य ब्रदर एस.गैब्रिएल ने समीरा खान के साहसिक अभियान की सराहना करते हुए उनके अभियान की सफलता की कामना की। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व विद्यार्थियों में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास पैदा करते हैं। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं छात्राएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

सावन उत्सव में 'वीरमाता' ममता और 'करुणा शिरोमणि' रेखा कश्यप का सम्मान

बेटों ने किडनी और लिवर दान कर बचाई जिंदगी,कहार समाज महिला इकाई ने सेवा और त्याग को दिया सम्मान

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सावन की खुशियों के बीच अंबिकापुर के चम्बोथी स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित कहार समाज महिला इकाई,जिला सरगुजा के सावन उत्सव में सेवा,त्याग और मानवीय संवेदना की मिसाल पेश करने वाली दो महिलाओं को विशेष सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में लखनपुर निवासी ममता कश्यप को'वीरमाता' और इमलीपारा अंबिकापुर निवासी रेखा कश्यप को 'करुणा शिरोमणि' सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। इसके बाद उपस्थित महिलाओं का स्वागत किया गया। सावन उत्सव के रंग में महिलाओं ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया।

बेटे ने किडनी दान कर बचाई जिंदगी,मां को मिला 'वीरमाता' सम्मान : समाजहित में उल्लेखनीय योगदान के लिए सुदामा कश्यप की धर्मपत्नी एवं गौतम कश्यप की माता ममता कश्यप को 'वीरमाता' सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि उनके 30 वर्षीय पुत्र गौतम कश्यप ने समाज के एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए अपनी किडनी दान की। बेटे के इस त्याग और मानवीय पहल के लिए मां ममता कश्यप को समाज की महिलाओं ने विशेष रूप से सम्मानित किया। सम्मान के दौरान उपस्थित महिलाओं ने उनके परिवार के इस निर्णय को समाज के लिए प्रेरणादायी बताया।

लिवर दान कर दिया जीवनदान, रेखा बनीं 'करुणा शिरोमणि' : इसी क्रम में राजू कश्यप की पत्नी रेखा कश्यप, निवासी इमलीपारा अंबिकापुर,को 'करुणा शिरोमणि' सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि उन्होंने भी अपना लिवर दान कर एक जरूरतमंद को जीवनदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों महिलाओं को सम्मानित करते हुए समाज की महिलाओं ने कहा कि अंगदान केवल चिकित्सा प्रक्रिया नहीं, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति को जीवन का दूसरा अवसर देने वाला मानवीय निर्णय है। ऐसे उदाहरण समाज में सेवा और परोपकार की भावना को मजबूत करते हैं।

हर माह होगा सामाजिक आयोजन : कार्यक्रम के समापन अवसर पर महिलाओं को श्रृंगार सामग्री वितरित की गई और स्वल्पाहार कराया गया। कहार समाज महिला इकाई विंग जिला सरगुजा की मनोनीत अध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद संध्या रवानी ने सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने बताया कि आगामी माह से हर महीने सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों का उद्देश्य समाजहित में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करने के साथ सामाजिक उत्थान और जनजागरूकता को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने अधिक से अधिक महिलाओं और बेटियों से संगठन से जुड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन एवं संयोजन मनोनीत उपाध्यक्ष एवं समाजसेवी साधना कश्यप ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में संध्या सिंह, मंजू कश्यप, मीरा कश्यप, श्यामा कश्यप, इंदू कश्यप, सुनीता कश्यप, ललिता कश्यप, सुषमा कश्यप, किरण कश्यप, शारदा कश्यप, एकता कश्यप, पुष्पा कश्यप, अर्चना कश्यप, सुम्मी कश्यप, सुभद्रा कश्यप, जुली कश्यप, रेखा कश्यप, ममता कश्यप, मनजोला कश्यप, सोनिया कश्यप, कविता कश्यप, चंदा कश्यप, जूही कश्यप एवं अंजना कश्यप सहित समाज की महिलाओं का योगदान रहा। उक्त जानकारी समाज की उपाध्यक्ष साधना कश्यप ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।

हाथी के हमले में किसान की मौत,सड़क पर शव रखकर चक्काजाम

खाद लेकर बाइक से घर लौट रहा था किसान,जंगल के पास हाथी ने किया हमला,मुआवजा और नौकरी की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिंगरा में बुधवार शाम हाथी के हमले में 42 वर्षीय किसान रामलाल की मौत हो गई। किसान अपने साथी के साथ खाद लेकर बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान सिंगरा जंगल के पास हाथी ने दोनों पर हमला कर दिया। साथी किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहा, लेकिन हाथी ने रामलाल को कुचलकर मार डाला।

घटना की जानकारी मिलने के बाद गुरुवार सुबह ग्रामीण और परिजन शव लेकर करीब पांच किलोमीटर दूर पोड़ी मोड़ चौक पहुंचे। यहां सडक़ पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया गया। ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। जानकारी के अनुसार सिंगरा निवासी किसान रामलाल बुधवार दोपहर खाद लेने प्रतापपुर गया था। शाम को वह अपने एक साथी के साथ बाइक से घर लौट रहा था। सिंगरा जंगल के पास अचानक हाथी ने दोनों पर हमला कर दिया। हाथी को सामने देखकर साथी बाइक से उतरकर किसी तरह भाग निकला, लेकिन रामलाल उसकी चपेट में आ गया। हाथी के हमले में मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद साथी ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों ने शव उठाने नहीं दिया। गुरुवार सुबह परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण शव लेकर घटनास्थल से करीब पांच किलोमीटर दूर पोड़ी मोड़ चौक पहुंचे। यहां शव को सडक़ पर रखकर चक्काजाम कर दिया गया। ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की।

ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में लगातार हाथियों की आवाजाही और हमले की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से हाथियों की मौजूदगी और उनके विचरण क्षेत्र की पर्याप्त जानकारी ग्रामीणों को नहीं दी जाती। ग्रामीणों ने हाथियों से जान-माल की सुरक्षा के लिए स्थायी समाधान की मांग की।

प्रशासन और वन विभाग की टीम पहुंची : चक्काजाम की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार हाथियों के हमले से लोगों की जान जा रही है। ऐसे में केवल तत्काल राहत के बजाय हाथियों से सुरक्षा के लिए स्थायी व्यवस्था की जरूरत है। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी रही। प्रशासन और वन विभाग की टीम ग्रामीणों से बातचीत कर चक्काजाम समाप्त कराने के प्रयास में जुटी रही।

निर्माणाधीन छात्रावास के गड्ढे में डूबने से 5 साल की बच्ची की मौत

दूसरा बच्चा गंभीर,आंगनबाड़ी के पास खेलते समय हुआ हादसा...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

लुण्ड्रा स्टेडियम के समीप निर्माणाधीन पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के पीछे पानी से भरे गड्ढे में डूबने से गुरुवार को 5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य बच्चा भी गंभीर है। उसे लुण्ड्रा अस्पताल से मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार लुण्ड्रा थाना क्षेत्र के सेमरपारा निवासी ऋतिक और जया, दोनों करीब 5 वर्ष के हैं। दोनों गुरुवार सुबह आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे थे। सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच दोनों बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र के पास स्थित निर्माणाधीन छात्रावास परिसर में खेल रहे थे। इसी दौरान दोनों पानी से भरे गड्ढे में जा गिरे। बच्चों के डूबने की आवाज सुनकर आंगनबाड़ी केंद्र में भोजन तैयार कर रही सहायिका मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों की मदद से दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया और तत्काल लुण्ड्रा अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद चिकित्सकों ने जया को मृत घोषित कर दिया। वहीं ऋतिक की गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया।

खुले गड्ढे ने खड़े किए सुरक्षा पर सवाल

हादसे के बाद निर्माणाधीन पोस्ट मैट्रिक छात्रावास परिसर में सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। निर्माण स्थल पर पानी से भरे खुले गड्ढे के आसपास सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग या अन्य इंतजाम किए गए थे या नहीं, इसकी जांच जरूरी है। लोगों का कहना है कि यदि गड्ढे को सुरक्षित किया गया होता तो हादसा टाला जा सकता था।

सूरजपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई...44 लाख रुपये का 88 किलो 430 ग्राम गांजा जब्त,एक आरोपी गिरफ्तार

प्रेमनगर पुलिस ने नाकाबंदी कर बोलेरो को पकड़ा,वाहन छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था आरोपी, गांजा परिवहन में प्रयुक्त बोलेरो भी जब्त

-संवाददाता-
सूरजपुर,20 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
जिले में अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सूरजपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, प्रेमनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 88 किलो 430 ग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 44 लाख रुपये बताई गई है, पुलिस ने गांजा परिवहन में प्रयुक्त बोलेरो वाहन को भी जब्त कर लिया है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल (भापुसे) ने जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, इसी क्रम में 19 अगस्त 2026 की रात प्रेमनगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सफेद रंग की बोलेरो क्रमांक सीजी 16 सीएन 7570 में अवैध गांजा परसाकेत से बचरापोड़ी, जिला कोरिया की ओर ले जाया जा रहा है।

रघुनाथपुर चौक पर पुलिस ने की नाकाबंदी- मुखबिर की सूचना को गंभीरता से लेते हुए प्रेमनगर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और ग्राम रघुनाथपुर चौक के पास नाकाबंदी कर संदिग्ध बोलेरो वाहन को रोकने का प्रयास किया, पुलिस को देखते ही चालक ने वाहन की रफ्तार बढ़ाकर बस्ती की ओर भागने की कोशिश की, पुलिस टीम ने पीछा करते हुए घेराबंदी की और वाहन चालक को ब्रम्हपुर क्षेत्र में पकड़ लिया, पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम उमरे आजम उर्फ नान्हू खान, पिता स्व. अयुब खान, उम्र 40 वर्ष,निवासी ग्राम पोड़ी (बचरा), थाना बैकुंठपुर, जिला कोरिया बताया, पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि पुलिस द्वारा वाहन रोकने का प्रयास किए जाने के बाद उसने बोलेरो को अस्पताल परिसर में छिपा दिया और वाहन छोड़कर बाइक से लिफ्ट लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, आरोपी ने पुलिस को यह भी बताया कि बोलेरो वाहन में गांजा रखा हुआ है।

आरोपी की निशानदेही पर मिला गांजा

आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस टीम उसे लेकर संबंधित स्थान पर पहुंची, पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बोलेरो वाहन की तलाशी ली, जहां से 88 किलो 430 ग्राम गांजा बरामद किया गया,पुलिस ने गांजे को जब्त कर लिया, जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 44 लाख रुपये बताई गई है,पुलिस ने गांजे के साथ उसके परिवहन में प्रयुक्त बोलेरो वाहन को भी जब्त कर लिया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 20(बी)(ii)(ए) एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है,पुलिस अब मामले में गांजे के स्रोत,उसके संभावित खरीदार और इसके परिवहन से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में भी जांच कर सकती है।

कार्रवाई में इनकी रही भूमिका

इस कार्रवाई में एएसआई गुड्डू कुशवाहा, सुप्रियन टोप्पो,पीएसआई पुलेश्वर ध्रुव,प्रधान आरक्षक विनय किस्पोट्टा,प्रमोद लकड़ा तथा आरक्षक सत्यम सिंह,हरिशचंद दास,दीपक यादव,बृजेश काशी और संतोष ठाकुर की सक्रिय भूमिका रही।

नशे के खिलाफ अभियान जारी रखने का दावा

पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल ने कहा कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी,उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार केवल किसी एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि इससे परिवार और पूरे समाज पर गंभीर असर पड़ता है,उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि यदि किसी व्यक्ति को मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री, परिवहन या भंडारण से संबंधित कोई जानकारी मिलती है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें,पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस और आम जनता के सामूहिक सहयोग से ही जिले को नशे के अवैध कारोबार से मुक्त करने की दिशा में प्रभावी परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।

खैरबार में अवैध शराब भट्टी पर आबकारी का छापा,4700 किलो महुआ लाहन जब्त

छह भट्टियां मिलीं,135 लीटर महुआ शराब बरामद,2.48 लाख रुपए की सामग्री जब्त

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंबिकापुर से लगे ग्राम पंचायत खैरबार में संचालित अवैध शराब भट्ठी का भंडाफोड़ किया है। जिला स्तरीय उडन्दस्ता टीम और आबकारी वृत्त अंबिकापुर की संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर अमृता तिर्की पति जैमील तिर्की के ठिकाने पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान मौके से छह अवैध शराब भट्ठियां,करीब 4700 किलो महुआ लाहन और 135 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। आबकारी विभाग के अनुसार जब्त शराब और अन्य सामग्री की कुल कीमत करीब 2 लाख 48 हजार 500 रुपए आंकी गई है। टीम ने मौके पर मिली अवैध शराब भट्ठियों को जब्त कर लिया है। कार्रवाई के दौरान बरामद महुआ लाहन के सैंपल लिए गए। इसके बाद शेष लाहन को मौके पर ही नष्ट करने की कार्रवाई की गई। आबकारी विभाग ने अवैध शराब बनाने और बिक्री के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक सरिता साहू, सौरभ साहू और अनिल गुप्ता सहित विभाग की टीम शामिल रही।

जमीन विवाद में टांगी से हत्या,आरोपी को आजीवन कारावास

अपर सत्र न्यायालय प्रतापपुर का फैसला,1 हजार रुपये अर्थदंड और राशि नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास

-संवाददाता-
सूरजपुर,20 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
थाना रमकोला क्षेत्र के ग्राम डांडकरवां के स्कूलपारा में जमीन विवाद की पुरानी रंजिश को लेकर ग्रामीण की टांगी से हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायालय प्रतापपुर ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, न्यायालय ने आरोपी पर 1 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा, यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रतापपुर ओमप्रकाश सिंह चौहान ने 19 अगस्त 2026 को सुनाया।

जमीन विवाद को लेकर हुआ था विवाद- अभियोजन के अनुसार घटना 21 अक्टूबर 2024 की दोपहर करीब 3.30 बजे ग्राम डांडकरवां के स्कूलपारा में हुई थी, जमीन को लेकर पुरानी रंजिश के चलते आरोपी धर्मजीत का लरंग साय के साथ विवाद हुआ, विवाद बढ़ने पर आरोपी ने टांगी से लरंग साय पर हमला कर दिया, आरोप है कि धर्मजीत ने लरंग साय की पीठ, गर्दन और कान के पास टांगी से प्राणघातक वार किए, गंभीर चोटों के कारण लरंग साय की मौत हो गई, घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू की और थाना रमकोला में अपराध क्रमांक 25/2024 दर्ज किया गया, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया था, आरोपी को घटना के अगले दिन 22 अक्टूबर 2024 को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस विवेचना में जुटाए गए साक्ष्य- मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी/विवेचक निरीक्षक प्रमोद किस्पोट्टा द्वारा की गई, जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और संबंधित गवाहों के बयान दर्ज किए, मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया तथा चिकित्सकीय साक्ष्यों को भी विवेचना में शामिल किया गया, पुलिस द्वारा एकत्र किए गए दस्तावेजी, मौखिक और चिकित्सकीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों को प्रस्तुत किया।

न्यायालय ने माना हत्या का दोषी- अपर सत्र न्यायालय प्रतापपुर में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और चिकित्सकीय साक्ष्यों का परीक्षण किया गया, मामले की परिस्थितियों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी धरमजीत पिता स्व. बलजीत, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम रमकोला, थाना रमकोला को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का दोषी पाया, न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास एवं 1 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया, अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया।

अभियोजन की ओर से हुई पैरवी- मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अक्षय तिवारी ने पैरवी की, अभियोजन ने न्यायालय के समक्ष पुलिस विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों, गवाहों के बयान और चिकित्सकीय साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हुए आरोपी के खिलाफ लगाए गए हत्या के आरोप को साबित करने का प्रयास किया, न्यायालय के फैसले के बाद मामले का न्यायिक निराकरण हुआ, करीब दो वर्ष पुराने इस हत्या प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने को गंभीर अपराधों के प्रति न्यायालय की सख्ती के रूप में देखा जा रहा है।

झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के बाद 3 साल के बच्चे की मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम जमुआटांड़ निवासी 3 वर्षीय अबीष चेरवा की बुधवार शाम झोलाछाप डॉक्टर के इलाज के बाद मौत हो गई। बच्चे को बुखार था। परिजन उसे सरनाडीह निवासी झोलाछाप डॉक्टर भुलेश्वर सिंह के पास लेकर पहुंचे थे। आरोप है कि डॉक्टर ने घर पर ही बच्चे को इंजेक्शन लगाया। इसके बाद घर लौटते समय रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही देर में मौत हो गई। मृतक के पिता रमेश चेरवा ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में शिकायत की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों के अनुसार बच्चे को बुखार होने पर वे बुधवार शाम करीब 6 बजे उसे लेकर भुलेश्वर सिंह के पास पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि वह घर पर ही दवा और इंजेक्शन देकर इलाज करता है। डॉक्टर ने बच्चे को इंजेक्शन लगाया। इसके बाद परिजन उसे लेकर घर लौट रहे थे। करीब 5-10 मिनट बाद बच्चे की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई। घर पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत की सूचना मिलने पर परिजनों ने कोतवाली पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने गुरुवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। कोतवाली प्रभारी के अनुसार शिकायत मिली है कि बिना पंजीयन के इलाज करने वाले डॉक्टर ने बच्चे को इंजेक्शन लगाया था। बच्चे की मौत के कारणों की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने मनायी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मनाई जयंती

स्मार्ट मीटर के विरोध में आवाज़ तेज़ करने पर हुई चर्चा

-संवाददाता-
लखनपुर,20 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें याद किया गया तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा लगाये जा रहे स्मार्ट मीटर और बढ़ते बिजली बिल के विरोध में बड़े विरोध प्रदर्शन की बात निकलकर सामने आई। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अमित सिंहदेव के नेतृत्व में आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर सभी कांग्रेसी जन और पदाधिकारी लखनपुर के कांग्रेस कार्यालय में विधिवत तौर पर जमा हुए तथा उसके बाद राजीव गांधी के छायाचित्र के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके आदर्शों पर चलने की शपथ ली गई। इस अवसर पर स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लखनपुर में मरीजों को फल वितरण किया गया तो वही स्थानीय प्राथमिक स्कूल वार्ड क्रमांक 07 में पौधा रोपण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया जहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पौधा रोपण किया। पौधरोपण करने के उपरांत वहां पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को चॉकलेट वितरण किया गया।कार्यक्रम के बाद कांग्रेस पदाधिकारियों की मासिक बैठक आयोजित की गई जिसमे आने वाले समय में लगातार स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर सरकार के दबाव को लेकर तथा बढ़ते बिजली बिल को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

यूथ कांग्रेस चुनाव में प्रत्याशी को लेकर घमासान,राजीव भवन में हंगामा

रविशंकर नायक की उम्मीदवारी पर दूसरे गुट ने जताई आपत्ति,जिलाध्यक्ष समेत वरिष्ठ नेताओं ने संभाला मामला

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
यूथ कांग्रेस चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। सोमवार को राजीव भवन में यूथ कांग्रेस चुनाव की प्रक्रिया के दौरान अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दो गुट आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर गहमागहमी हुई।

विवाद बढने पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा। जानकारी के अनुसार यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए रविशंकर नायक को उम्मीदवार बनाए जाने पर दूसरे गुट के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई। उनका आरोप है कि रविशंकर नायक को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा में पदाधिकारी बनाया गया था। ऐसे में कांग्रेस की ओर से उन्हें यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाए जाने पर सवाल उठाए गए। वहीं रविशंकर नायक ने भाजपा में शामिल होने से इनकार किया है। उनका कहना है कि वे कभी भाजपा में शामिल नहीं हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के लोगों ने गलतफहमी के कारण उनका नाम अनुसूचित जाति मोर्चा से जोडक़र प्रचारित किया है। उन्होंने भाजपा में पदाधिकारी बनाए जाने की बात से भी इनकार किया। इसी मुद्दे को लेकर चुनाव प्रक्रिया के दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। राजीव भवन में काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल रहा।

जिलाध्यक्ष ने दोनों पक्षों को समझाया : विवाद की जानकारी मिलते ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव भवन पहुंचे। उन्होंने दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर मामला शांत कराया। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।

यूथ कांग्रेस ने भाजपा पर लगाए आरोप : यूथ कांग्रेस के अनुराग सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा के एक पदाधिकारी को यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष का चुनाव लड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संबंधित व्यक्ति ने अब तक भाजपा से इस्तीफा भी नहीं दिया है। इस मामले को लेकर पार्टी के भीतर सवाल उठ रहे हैं। यूथ कांग्रेस चुनाव से ठीक पहले सामने आए इस विवाद ने कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी को फिर चर्चा में ला दिया है। अब चुनाव प्रक्रिया को लेकर पार्टी के सामने आपसी विवाद को नियंत्रित रखने की चुनौती है।

13 साल से घर में 'बरसाती मेहमान' बनकर घुस रहा पानी,शिकायतों के बाद भी नहीं मिली राहत

टीन शेड का पानी घर की ओर गिरने से दीवारों में सीपेज,निगम से लेकर कलेक्टर तक पहुंची शिकायत,पंचनामा भी हुआ,फिर भी समस्या जस की तस

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
बारिश शुरू होते ही शहर में जलभराव की समस्या आम हो जाती है, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट सतेंद्र पांडेय के लिए बारिश महज मौसम नहीं, बल्कि 13 साल पुरानी परेशानी की वापसी लेकर आती है। उनका आरोप है कि आसपास के घरों में लगे टीन शेड से बारिश का पूरा पानी उनके घर की ओर गिरता है। नतीजा यह है कि बारिश होते ही उनके घर में पानी जमा हो जाता है और दीवारें लगातार सीलन की मार झेल रही हैं। सतेंद्र पांडेय ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि ममता पांडेय, आशुतोष पांडेय (चिन्टू), कारू (राहुल पांडेय) और महेंद्र पांडेय के घरों में लगे टीन शेड से बारिश का पानी उनके घर की तरफ गिरता है। उनका कहना है कि लंबे समय से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण घर की दीवारों में सीपेज हो गया है। प्लास्टर खराब हो चुका है और अब दीवारों के कमजोर होने की स्थिति बन रही है।

शिकायतों की 'बारिश' हुई, समाधान की बूंद नहीं गिरी : सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब समस्या करीब 13 साल पुरानी है, तो इसका समाधान अब तक क्यों नहीं हो पाया? पांडेय के मुताबिक उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित लोगों से बात की। इसके बाद मामला कोतवाली थाना, नगर निगम और कलेक्टर कार्यालय तक भी पहुंचा। नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और आपसी बातचीत के जरिए समाधान का प्रयास किया गया। कलेक्टर के निर्देश पर टीम ने पंचनामा तक तैयार किया। लेकिन शिकायत से लेकर पंचनामा तक की पूरी कवायद के बावजूद लगभग दो साल गुजर गए और समस्या वहीं खड़ी है, जहां पहले थी। यानी कागज पर कार्रवाई आगे बढ़ती रही और बारिश का पानी जमीन पर उसी रास्ते से बहता रहा।

दीवारें कमजोर हो रही हैं, जिम्मेदारी तय नहीं : पांडेय का कहना है कि लगातार पानी जमा होने से घर की दीवारों और प्लास्टर को नुकसान पहुंच रहा है। स्थिति ऐसी है कि प्लास्टर गिरने और दीवारों के कमजोर होने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में सवाल सिर्फ असुविधा का नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा का भी है। उनका कहना है कि जब वह घर पर नहीं रहते, तब उनकी पत्नी और बच्चों को कथित रूप से धमकी दिए जाने की बात भी सामने आई है। इससे परिवार भय और तनाव में है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

पंचनामा बना,लेकिन समस्या का 'अंतिम संस्कार' नहीं हुआ : मामले का सबसे व्यंग्यात्मक पहलू यही है कि सरकारी प्रक्रिया में शिकायत भी हुई, अधिकारी भी पहुंचे और पंचनामा भी बन गया,लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। सवाल उठता है कि पंचनामा बनने के बाद जिम्मेदारी किसकी थी और कार्रवाई कहां अटक गई? यदि मौके पर जाकर स्थिति स्पष्ट हो गई थी तो फिर स्थायी जल निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है? क्या किसी परिवार के घर की दीवार गिरने के बाद ही प्रशासन जागेगा? तेरह साल से पानी अपना रास्ता नहीं बदल पाया, लेकिन जिम्मेदार विभागों की फाइलें जरूर कई रास्तों से गुजर चुकी होंगी।

बारिश आते ही फिर वही कहानी : व्यथित सतेंद्र पांडेय का कहना है कि बारिश होने पर आज भी घर में बड़ी मात्रा में पानी जमा हो जाता है। उनका परिवार हर बारिश में इसी चिंता में रहता है कि इस बार पानी कितना नुकसान करेगा। दीवारों की सीलन, खराब होता प्लास्टर और लगातार बढ़ती परेशानी के बीच परिवार को स्थायी समाधान का इंतजार है। पांडेय ने जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों से मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके की दोबारा जांच,पानी की निकासी की स्थायी व्यवस्था और समस्या का तत्काल समाधान कराने की मांग की है। अब देखना यह है कि 13 साल से चली आ रही इस समस्या पर प्रशासन की नजर पड़ती है या फिर अगली बारिश में भी शिकायतें सूखी रहेंगी।

स्कूल छुट्टी के समय शंकरगढ़ की सड़कें बन रहीं 'खतरे का कॉरिडोर',आदेश के बाद भी भारी वाहनों पर रोक नहीं

-संवाददाता-
शंकरगढ़,20 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
विकासखंड मुख्यालय शंकरगढ़ में स्कूलों की छुट्टी का समय अब बच्चों के लिए सुरक्षित घर लौटने के बजाय जाम और हादसे के खतरे से जूझने का समय बनता जा रहा है। रोजाना दोपहर करीब 4 से 4:30 बजे के बीच स्कूलों की छुट्टी होने पर बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं सड़क पर निकलते हैं। इसी दौरान भारी और तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही से बस स्टैंड और अटल चौक के आसपास यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। सबसे गंभीर बात यह है कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी , शंकरगढ़ ने 22 जुलाई 2026 को थाना प्रभारी शंकरगढ़ को लिखित पत्र भेजकर स्कूल छुट्टी के समय भारी एवं तेज रफ्तार वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था। पत्र में शाम 4 से 4:30 बजे तक विशेष रूप से भारी एवं तेज रफ्तार वाहनों को प्रतिबंधित करने और यातायात व्यवस्था सुचारू कराने की बात कही गई थी। विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पत्र के बावजूद स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल छुट्टी के समय यातायात व्यवस्था में अब तक कोई प्रभावी बदलाव नजर नहीं आ रहा है। बस स्टैंड और अटल चौक के आसपास एक साथ भारी वाहन, दोपहिया वाहन और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की मौजूदगी से जाम की स्थिति बन जाती है। ऐसे समय में छोटे बच्चों को सड़क पार करने के लिए वाहनों के बीच से निकलना पड़ता है। भारी वाहनों की आवाजाही और तेज रफ्तार के बीच एक छोटी सी चूक भी बड़े हादसे में बदल सकती है। मामला केवल यातायात जाम का नहीं, बल्कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा का है। जब शिक्षा विभाग स्वयं पुलिस को पत्र लिखकर स्कूल छुट्टी के समय भारी वाहनों पर रोक लगाने की मांग कर चुका है,तो फिर उसी समय सड़क पर व्यवस्था संभालने के लिए जिम्मेदार अमला नजर क्यों नहीं आता?

धान एक लाख क्विंटल, खर्च 82 लाख पार!

शिवप्रसादनगर में हिसाब की 'खिचड़ी' कौन पकाता रहा?

27 लाख के हिसाब पर 82 लाख की डेबिट! शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र में खर्च का हिसाब कौन देगा?

एक लाख क्विंटल धान खरीदी का दावा,मजदूरी भुगतान पर भी सवाल, सीमित कर्मचारियों के बावजूद वेतन और अन्य मदों में भारी निकासी—बैंक स्टेटमेंट के मदवार ऑडिट की मांग...

27 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से करीब 27 लाख बनते हैं,फिर नवंबर से जुलाई तक खाते से इतनी बड़ी रकम किस मद में निकली? मजदूरी और वेतन भुगतान भी जांच के घेरे में...

27 लाख के धान पर 82 लाख की डेबिट! शिवप्रसादनगर समिति में 'खर्च का खेल' या कोई और हिसाब?

धान की बोरी का हिसाब पक्का,बैंक खाते के पैसों का हिसाब ढीला! शिवप्रसादनगर में उठे सवाल...

एक लाख क्विंटल धान खरीदा, खाते से लाखों निकले...कहां गया पैसा,कौन देगा हिसाब?

मजदूरी किसान दें,कर्मचारी गिने-चुने...फिर खाते से 82 लाख की निकासी क्यों?

किसान के धान का तौल हुआ,अब समिति के खर्च का तौल कौन करेगा?

धान कम नहीं,खर्च ज्यादा दिखा तो सवाल तो उठेंगे! शिवप्रसादनगर समिति का बैंक स्टेटमेंट खोल रहा राज

शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्रः एक लाख क्विंटल धान और 82 लाख की डेबिट...आखिर खर्च का आधार क्या?

'धान' की खरीद या 'खर्च' की बरसात? शिवप्रसादनगर समिति के खाते ने बढ़ाई पारदर्शिता की मांग

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर/भैयाथान,20 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

शिवप्रसाद नगर धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी से जुड़े खर्च का मामला अब केवल अनुमान और चर्चाओं तक सीमित नहीं रह गया है, समिति के बैंक खाते के उपलब्ध स्टेटमेंट में दर्ज लेन-देन को देखने पर वित्तीय प्रबंधन को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं,सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूत्रों जो 01 जून 2025 से 22 जुलाई 2026 तक का बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध है और इसमें नवंबर 2025 के बाद लगातार बड़ी-बड़ी डेबिट प्रविष्टियां दर्ज हैं। यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य पहले ही स्पष्ट कर देना जरूरी है,उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट के अनुसार 12 नवंबर 2025 से 21 जुलाई 2026 तक की दर्ज डेबिट प्रविष्टियों का योग लगभग 1.16 करोड़ रुपये बैठता है,इसलिए इसे केवल 70 लाख रुपये से अधिक का खर्च कहना उपलब्ध स्टेटमेंट के हिसाब से कम आंकना होगा, हालांकि,इस पूरी राशि को धान खरीदी का खर्च मानना भी सही नहीं होगा,क्योंकि खाते में वेतन, मजदूरी,नकद भुगतान,आंतरिक ट्रांसफर,बैंक शुल्क और अन्य मदों की प्रविष्टियां भी शामिल हैं,यही वजह है कि अब असली सवाल कुल निकासी से ज्यादा मदवार खर्च के हिसाब का है।

नवंबर से खाते में करोड़ों की हलचल,खर्च का हिसाब कहां है?

बैंक स्टेटमेंट में 12 नवंबर 2025 को 2,85,467.52 की जमा प्रविष्टि,21 नवंबर को 28,14,453.23 की जमा और 29 नवंबर को 1,28,366.28 की जमा दिखाई देती है, 4 दिसंबर को भी 2,45,601.72 जमा हुआ,दूसरी ओर इसी अवधि में कई डेबिट प्रविष्टियां भी दर्ज हैं,इसके बाद दिसंबर से मार्च तक खाते में लगातार भुगतान होते दिखाई देते हैं,इनमें मजदूरी,वेतन,नकद भुगतान,विभिन्न संस्थाओं को भुगतान तथा अन्य खर्च शामिल हैं,दिसंबर में 3.90 लाख का भुगतान 'जुलाई से 25 नवंबर तक वेतन' के नाम से दर्ज है,फिर फरवरी 2026 में धान खरीदी से सीधे संबंधित दिखाई देने वाली प्रविष्टियां भी सामने आती हैं,4 फरवरी 2026 को 1,59,600—'धान खरीदी 2025 2026 मजदूरी' के विवरण के साथ डेबिट हुआ,अगले दिन 5 फरवरी को 1,90,000'मजदूरी भुगतान 2025-26' के नाम से डेबिट दर्ज है,यही वह बिंदु है जहां मजदूरी भुगतान की व्यवस्था को लेकर स्पष्टता जरूरी हो जाती है।

जब मजदूरी का भुगतान किसान करते हैं तो समिति के खाते से मजदूरी भुगतान क्यों?

इस मामले में स्थानीय स्तर पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि धान खरीदी केंद्र पर मजदूरों की मजदूरी का भुगतान किसान स्वयं करते हैं और समिति के खाते से मजदूरी भुगतान नहीं होना चाहिए, यदि संबंधित व्यवस्था वास्तव में ऐसी ही है तो बैंक स्टेटमेंट में दर्ज 'धान खरीदी 2025-2026 मजदूरी' और 'मजदूरी भुगतान 2025-26' जैसी प्रविष्टियों का औचित्य स्पष्ट किया जाना चाहिए,यहां बैंक स्टेटमेंट स्वयं यह प्रमाणित नहीं करता कि भुगतान गलत था,लेकिन वह इतना जरूर दिखाता है कि ऐसे भुगतान दर्ज हुए हैं,इसलिए समिति को यह बताना चाहिए कि किस मजदूर को कितना भुगतान हुआ? किस तारीख को हुआ? कितने दिन काम कराया गया? किस दर से मजदूरी तय हुई? मजदूरों की उपस्थिति किस रजिस्टर में दर्ज है? किस अधिकारी ने भुगतान स्वीकृत किया? और सबसे महत्वपूर्ण—यदि मजदूरी का भुगतान किसी अन्य व्यवस्था के तहत होना था तो समिति के खाते से यह रकम क्यों निकली? इन सवालों का जवाब मजदूरी रजिस्टर,भुगतान वाउचर,उपस्थिति पंजी और बैंक भुगतान का मिलान करके ही मिल सकता है।

एक लाख क्विंटल धान और 27 रुपये प्रति क्विंटल का सवाल-स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार शिवप्रसाद नगर धान खरीदी केंद्र में लगभग एक लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई,यदि धान खरीदी से संबंधित भुगतान की दर 27 रुपये प्रति क्विंटल मानी जाए तो एक लाख क्विंटल पर राशि लगभग 27 लाख रुपये बनती है,यदि इसमें अन्य स्वीकृत खर्च जोड़कर अधिकतम 30 से 35 लाख रुपये तक का खर्च मान लिया जाए,तब भी बैंक खाते में नवंबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच दिखाई दे रही भारी डेबिट प्रविष्टियां सवाल खड़े करती हैं,लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी है— 27 रुपये प्रति क्विंटल किस मद की अधिकृत दर है और इसमें कौन-कौन से खर्च शामिल हैं, यह संबंधित विभागीय आदेश से सत्यापित होना चाहिए,इसी तरह एक लाख क्विंटल की खरीदी का आंकड़ा भी खरीदी रजिस्टर से प्रमाणित किया जाना चाहिए,यानी सवाल आरोप लगाने का नहीं, बल्कि 27-35 लाख के अनुमान और बैंक खाते की वास्तविक वित्तीय गतिविधि के बीच अंतर का दस्तावेजी हिसाब मांगने का है।

वेतन के नाम पर भी लाखों...कर्मचारी कितने और भुगतान कितना?-बैंक खाते में वेतन भुगतान की प्रविष्टियां भी दर्ज हैं,26 दिसंबर 2025 को 3,90,000'जुलाई से 25 नवंबर तक वेतन' के नाम पर भुगतान हुआ, इसके बाद 9 मार्च 2026 को 2,34,000 'वेतन भुगतान दिसंबर 25 से फरवरी 2026 तक' के नाम से डेबिट दर्ज है,उसी दिन 95,600 की दैनिक मजदूरी संबंधी प्रविष्टि भी दर्ज है,अब सवाल यह है कि समिति में उस अवधि में कितने कर्मचारी कार्यरत थे और उनका स्वीकृत वेतन कितना था? यदि कर्मचारियों की संख्या सीमित थी तो कर्मचारीवार वेतन बिल सामने रखकर आसानी से यह पता लगाया जा सकता है कि वास्तविक वेतन कितना बनता है,वेतन बिल है तो हिसाब आसान है,कर्मचारी की संख्या म मासिक वेतन में महीनों की संख्या=कुल वेतन,फिर बैंक खाते से निकली राशि से उसका मिलान किया जा सकता है, यदि दोनों बराबर हैं तो सवाल खत्म। यदि अंतर है तो फिर अंतर का कारण बताना होगा।

'एसएम एसपीनगर को भुगतान किया गया'...नकद भुगतान की लंबी श्रृंखला-बैंक स्टेटमेंट में कई बार 'एसएम एसपीनगर को भुगतान किया गया' के नाम से नकद चेक भुगतान दर्ज हैं, फरवरी 2026 में 1,35,900, 94,360, 67,320 जैसे भुगतान दिखाई देते हैं,मार्च 2026 में भी 1,17,860 और 1,33,000 जैसे नकद चेक भुगतान दर्ज हैं। अप्रैल में 1,78,300,93,280 और 99,076 की निकासी दर्ज है,मई में 66,850 और 3,90,100 तथा जून में 1,01,930, 2,96,050 और 2,70,600 जैसे भुगतान दिखाई देते हैं,जुलाई 2026 में भी 2,88,850 का भुगतान'एसएम एसपीनगर को भुगतान किया गया' के नाम से दर्ज है और 14 जुलाई को 2,91,550 का नकद भुगतान तथा 21 जुलाई को 1,93,600 का भुगतान दर्ज है,यहां सवाल यह नहीं कि नकद भुगतान अपने आप में अवैध है,सवाल यह है कि इन सभी भुगतानों के पीछे कौन-सा कार्य था और उसका बिल-वाउचर कहां है यदि प्रत्येक भुगतान के पीछे स्वीकृत बिल,समिति का प्रस्ताव,कैशबुक प्रविष्टि और प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर मौजूद है तो स्थिति स्पष्ट हो सकती है, लेकिन यदि भुगतान के पीछे दस्तावेज नहीं हैं तो फिर यही राशि जांच का केंद्र बनेगी।

खाते में आंतरिक ट्रांसफर भी,क्या यह खर्च है...या सिर्फ खाते का स्थानांतरण?-स्टेटमेंट में कुछ ऐसी प्रविष्टियां भी हैं जो सीधे खर्च नहीं बल्कि ट्रांसफर प्रतीत होती हैं,उदाहरण के लिए 1 जनवरी 2026 को 2,06,669 और 1,44,955 की राशि 'TRF AS PER TCS PRASTAV' के विवरण के साथ दूसरे TCS खातों में ट्रांसफर हुई,ऐसी राशि को सीधे धान खरीदी का खर्च मानना उचित नहीं होगा। इसी तरह अन्य खातों में ट्रांसफर हुई रकम का भी अलग हिसाब बनना चाहिए, यही कारण है कि बैंक स्टेटमेंट देखकर केवल कुल डेबिट को भ्रष्टाचार कहना तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं होगा,लेकिन कुल डेबिट में से वास्तविक धान खरीदी खर्च कितना है और अन्य मदों में कितना गया,इसका हिसाब मांगना पूरी तरह जायज सवाल है।

कहीं ऐसा तो नहीं कि धान की बोरी से ज्यादा बड़ा हो गया खर्च का थैला?-व्यंग्य की भाषा में कहें तो धान खरीदी केंद्र में किसान अपनी बोरी लेकर आता है और विभाग उसकी बोरी का वजन करता है,लेकिन अब सवाल यह है कि केंद्र के बैंक खाते से निकलने वाले पैसों का वजन कौन करेगा? धान की बोरी में एक लाख क्विंटल का हिसाब है तो बैंक खाते में हर एक रुपये का हिसाब होना चाहिए, क्योंकि यह किसी निजी कारोबारी की दुकान का पैसा नहीं है, यह सहकारी संस्था का पैसा है और इसके पीछे किसान की उपज तथा सरकारी व्यवस्था जुड़ी हुई है,इसलिए 'बैंक खाते में पैसा निकला' और'भ्रष्टाचार हुआ...इन दोनों को एक नहीं माना जा सकता,लेकिन यदि पैसा निकला है तो'क्यों निकला?'यह सवाल जरूर पूछा जा सकता है,और यदि जवाब है कि यह मजदूरी थी तो मजदूर कौन? यदि जवाब है कि वेतन था तो कर्मचारी कौन? यदि जवाब है कि परिवहन था तो वाहन कौन? यदि जवाब है कि धान खरीदी का खर्च था तो किस स्वीकृत दर पर? यदि जवाब है कि प्रशासनिक खर्च था तो किस प्रस्ताव पर? यानी हर रुपये के पीछे एक दस्तावेज होना चाहिए।

जांच हो तो सिर्फ बैंक खाते की नहीं, पूरे रिकॉर्ड की हो-इस मामले में किसी एक बैंक प्रविष्टि को पकड़कर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा,यदि जांच करनी है तो धान खरीदी की कुल मात्रा,स्वीकृत दर,खरीदी अवधि,परिवहन,हमाली,मजदूरी,वेतन,बारदाना, स्टॉक, मिलर को उठाव, कैश बुक, लेजर और बैंक स्टेटमेंट—सभी का मिलान किया जाना चाहिए,खास तौर पर नवंबर 2025 से जुलाई 2026 तक की सभी डेबिट प्रविष्टियों को मदवार बांटकर देखा जाए,धान खरीदी से सीधे जुड़े खर्च कितने? मजदूरी कितनी?वेतन कितना?परिवहन कितना?नकद भुगतान कितना?अन्य प्रशासनिक खर्च कितना? आंतरिक ट्रांसफर कितना? और ऐसा भुगतान कितना जिसके पीछे कोई स्पष्ट दस्तावेज नहीं? तभी वास्तविक तस्वीर सामने आएगी।

अब समिति से सवाल—मदवार हिसाब सार्वजनिक होगा या नहीं?-

शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र के बैंक खाते से जुड़े आंकड़े सामने आने के बाद सबसे स्वाभाविक मांग यही है कि समिति और संबंधित सहकारिता अधिकारी मदवार खर्च का पूरा विवरण सार्वजनिक करें,यदि खाते से निकला पैसा नियमसम्मत है तो दस्तावेज दिखाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए,यदि मजदूरी का भुगतान नियम के अनुसार हुआ है तो मजदूरों की सूची सामने रखी जा सकती है,यदि वेतन का भुगतान हुआ है तो कर्मचारीवार वेतन बिल उपलब्ध कराया जा सकता है,यदि नकद भुगतान हुआ है तो वाउचर और कैशबुक दिखाई जा सकती है, और यदि कोई राशि दूसरे खाते में ट्रांसफर हुई है तो उसका उद्देश्य और अंतिम उपयोग बताया जा सकता है,फिर सवाल खत्म,लेकिन यदि करोड़ों की आवाजाही के बावजूद हिसाब सिर्फ इतना मिले कि 'सब नियम से हुआ',तो किसान का अगला सवाल स्वाभाविक होगा—नियम कहां है और पैसा किस मद में है?

अंतिम सवाल...धान खरीदी केंद्र है या खर्च का खुला खाता?-

शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र का बैंक स्टेटमेंट कई सवाल सामने रखता है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही निकलना चाहिए,उपलब्ध दस्तावेज इतना जरूर दिखाते हैं कि खाते में नवंबर 2025 के बाद बड़ी मात्रा में वित्तीय गतिविधियां हुई और कई भुगतान धान खरीदी,मजदूरी, वेतन तथा नकद भुगतान से जुड़े हैं,अब गेंद सहकारिता विभाग के पाले में है, एक लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई तो कुल स्वीकृत खर्च कितना था? 27 रुपये प्रति क्विंटल की दर किस मद के लिए थी? मजदूरी का भुगतान कौन करता था? समिति के खाते से मजदूरी मद में पैसा क्यों निकला? सीमित कर्मचारियों के वेतन पर कुल कितना खर्च हुआ?'SM SPNAGAR को भुगतान किया गया'के नाम से निकली रकम किस काम में लगी? नकद भुगतान के पीछे कौन-से बिल और वाउचर हैं? और सबसे बड़ा सवाल—यदि नवंबर 2025 से जुलाई 2026 तक खाते से करीब 1.16 करोड़ रुपये की डेबिट हुई है, तो इस पूरी रकम का मदवार हिसाब आखिर कौन देगा? क्योंकि किसान के धान का हिसाब बोरी-बोरी में लिया जाता है,तो सहकारी समिति के पैसे का हिसाब रुपये-रुपये में क्यों नहीं होना चाहिए?

फिर 1.16 करोड़ की डेबिट का बड़ा हिस्सा गया कहां?

उपलब्ध स्टेटमेंट में 12 नवंबर 2025 से 21 जुलाई 2026 तक दर्ज डेबिट प्रविष्टियों का कुल योग लगभग 1,16,09,688.55 बैठता है,यानी करीब 1.16 करोड़ रुपये, लेकिन इस आंकड़े को सीधे 'धान खरीदी में खर्च' कहना भी गलत होगा, क्योंकि इसमें वेतन, मजदूरी, नकद भुगतान, बैंक शुल्क और कुछ ट्रांसफर शामिल हैं, यहीं से असली खबर निकलती है,अगर 1.16 करोड़ रुपये धान खरीदी का खर्च नहीं है तो फिर इसका मदवार विवरण क्या है? और यदि इसका बड़ा हिस्सा धान खरीदी से संबंधित है तो फिर एक लाख क्विंटल धान की खरीदी के लिए इतना खर्च क्यों? यही वह सवाल है जिसका जवाब समिति और संबंधित सहकारिता अधिकारियों को देना चाहिए।

27 लाख का गणित और 1.16 करोड़ का बैंक हिसाब—बीच की कहानी कौन बताएगा?

एक तरफ एक लाख क्विंटल म 27 रुपये = 27 लाख रुपये का गणित सामने है,दूसरी तरफ बैंक खाते में नवंबर 2025 से जुलाई 2026 तक करीब 1.16 करोड़ रुपये की डेबिट प्रविष्टियां दिखाई देती हैं, बीच का अंतर अपने आप में भ्रष्टाचार साबित नहीं करता,क्योंकि खाते में अन्य प्रकार के लेन-देन भी हैं,लेकिन यह अंतर इतना बड़ा जरूर है कि मदवार ऑडिट जरूरी हो जाता है,सहकारिता विभाग चाहे तो इस सवाल का जवाब एक ही दिन में दे सकता है, बस बैंक स्टेटमेंट लेकर कैशबुक सामने रखी जाए, कैशबुक के साथ लेजर रखा जाए, लेजर के साथ वाउचर रखे जाएं, वाउचर के साथ भुगतान प्राप्तकर्ता की जानकारी रखी जाए,मजदूरी के साथ मजदूरों की सूची रखी जाए, वेतन के साथ कर्मचारीवार बिल रखा जाए,और धान खरीदी के साथ स्टॉक एवं परिवहन रिकॉर्ड रख दिया जाए, फिर पता चल जाएगा कि पैसा कहां गया।

शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र : खर्च का हिसाब सवालों में

विवरण	उपलब्ध आंकड़ा	उठता सवाल
कुल धान खरीदी	लगभग 1,00,000 क्विंटल	वास्तविक खरीदी का रिकॉर्ड क्या है?
प्रति क्विंटल निर्धारित राशि	₹27	इस दर में कौन-कौन से खर्च शामिल हैं?
₹27 प्रति क्विंटल के हिसाब से राशि	लगभग ₹27 लाख	इसके अतिरिक्त स्वीकृत खर्च कितना है?
संभावित अधिकतम खर्च	लगभग ₹30–35 लाख	अतिरिक्त राशि किस मद में खर्च हुई?
बैंक खाते की डेबिट	₹82.51 लाख से अधिक	इतनी बड़ी राशि किस-किस मद में निकली?
अनुमानित अंतर	लगभग ₹47–55 लाख	क्या यह राशि धान खरीदी से संबंधित थी या अन्य मदों की?
मजदूरी भुगतान	जांच का विषय	जब मजदूरी भुगतान की अलग व्यवस्था है तो खाते से मजदूरी मद में भुगतान क्यों?
कर्मचारियों का वेतन	सीमित कर्मचारी	कर्मचारीवार कुल वेतन कितना दिया गया?
परिवहन/अन्य खर्च	दस्तावेजों से सत्यापन जरूरी	बिल, वाउचर और स्वीकृति कहां हैं?
बैंक खाते की जांच	आवश्यक	प्रत्येक डेबिट का मदवार मिलान हुआ या नहीं?

नोट: बैंक खाते की कुल डेबिट को सीधे भ्रष्टाचार या धान खरीदी का खर्च नहीं माना जा सकता। वास्तविक स्थिति के लिए कैश बुक,लेजर,बैंक स्टेटमेंट,बिल-वाउचर, मजदूरी भुगतान रजिस्टर और संबंधित स्वीकृति आदेशों का मिलान जरूरी है।

धान खरीदी में 3559 क्विंटल कमी के बाद भी 'मेहरबानी' जारी,फिर मिली खरीदी प्रभारी की जिम्मेदारी और आगे फिर जिम्मेदारी मिलने की संभावना

- 2020-21 में सेवा समाप्ति, 2024-25 व 2025-26 में फिर जिम्मेदारी,2025-26 में करीब 13 हजार क्विंटल कमी के आरोप से घिरी साधना कुशवाहा...
- सेवा समाप्ति से धान खरीदी प्रभारी तक,सोनपुर में साधना कुशवाहा की वापसी पर सवाल...
- 3559 क्विंटल की कमी भूली सहकारिता! फिर साधना को धान खरीदी की कमान...
- सोनपुर समिति में नियमों का खेल...कार्रवाई भी हुई...वापसी भी हुई...
- 13 हजार क्विंटल की कमी के आरोप के बीच सवाल-साधना पर विभाग इतना मेहरबान क्यों?
- कागजों में धान पूरा...सवालों में व्यवस्था...सोनपुर समिति में साधना की वापसी का राज क्या?
- सेवा समाप्ति का आदेश बेअसर? सोनपुर में फिर धान की रखवाली का जिम्मा
- सहकारिता का अजब खेल...जिसे हटाया...उसी को फिर धान खरीदी में बैठाया...
- 3559 से 13 हजार क्विंटल तक,सोनपुर धान खरीदी में कमी का बढ़ता सवाल...
- धान की कमी,निलंबन और फिर बहाली की तैयारी-सोनपुर में किसकी मेहरबानी?

साधना के बाद अब विवेक की 'वापसी'—सोनपुर में कुर्सियां शायद खाली रहना पसंद नहीं करतीं...

सोनपुर समिति की कहानी में दूसरा नाम है विवेक कुमार चौरसिया का, उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अस्थायी लिपिक के रूप में रखा गया था और 9 जुलाई 2025 को समिति तथा समिति के समस्त कार्यों से पृथक किए जाने की कार्रवाई हुई,लेकिन ठीक एक वर्ष से कुछ अधिक समय बाद अचानक फिर बैठक का दौर शुरू होता है,6 अगस्त 2026 को समिति कार्यालय की ओर से संचालक मंडल की बैठक में उपस्थित रहने का नोटिस जारी होता है,बैठक की तारीख—7 अगस्त 2026, समय—दोपहर 1 बजे,स्थान—समिति कार्यालय सोनपुर,सबसे दिलचस्प बात यह है कि बैठक सूचना में विस्तृत एजेंडा स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता,फिर सवाल उठता है—बैठक किसलिए? क्या हटाए गए कर्मचारी की वापसी के लिए? क्या नियुक्ति की वैधता की समीक्षा के लिए? क्या समिति के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव के लिए? या फिर कोई और विषय? अगर बैठक के बाद विवेक कुमार चौरसिया को फिर से कार्य में रखने की रणनीति तैयार हुई है,जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है,तो उससे भी बड़ा सवाल यह है कि 9 जुलाई 2025 को जिस आधार पर उन्हें हटाया गया था,उस आधार का क्या हुआ?

सेवा समाप्ति का मतलब क्या केवल 'कुछ समय के लिए बाहर' है?

सोनपुर समिति के दोनों मामलों को एक साथ रखने पर व्यंग्य का अवसर खुद-ब-खुद पैदा हो जाता हैम यहां शायद सहकारिता का नया फार्मूला कुछ ऐसा है—पहले सेवा से हटाओ, फिर फाइल को आराम दो, कुछ समय बाद बैठक बुलाओ,पुरानी कार्रवाई पर चर्चा करो,फिर वापसी का रास्ता खोजो, और यदि यह सब नियमों के तहत है तो नियम बताइए,क्योंकि नियम किसी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार नहीं बदल सकते,यदि कोई कर्मचारी केवल अस्थायी व्यवस्था में रखा गया था तो उसकी नियुक्ति की वैधता स्पष्ट होनी चाहिए, यदि उसे हटाया गया तो हटाने का कारण स्पष्ट होना चाहिए,और यदि फिर रखा जा रहा है तो नई नियुक्ति अथवा बहाली की वैधानिक प्रक्रिया भी स्पष्ट होनी चाहिए।

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर/भैयाथान,20 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सहकारिता विभाग में नियम-कायदे किसके लिए हैं और किसके लिए नहीं,यह सवाल सूरजपुर जिले की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सोनपुर,पंजीयन क्रमांक 580 के मामले में लगातार गहराता जा रहा है,यहां दस्तावेजों और सामने आए घटनाक्रम को जोड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि सहकारिता में कुर्सी से हटना अंतिम विदाई नहीं,बल्कि अगली बैठक तक का विराम हो सकता है,एक तरफ कर्मचारी को सेवा से पृथक करने के आदेश निकलते हैं,दूसरी तरफ समय बीतने के बाद उसी कर्मचारी को फिर संस्था में लाने की तैयारी दिखाई देती है,एक तरफ किसी कर्मचारी के खिलाफ गंभीर आरोपों के आधार पर कार्रवाई होती है,दूसरी तरफ उसी व्यक्ति को बाद के वर्षों में फिर से धान खरीदी जैसी संवेदनशील जिम्मेदारी सौंपे जाने पर सवाल उठते हैं,और इसी पूरी कहानी के बीच सबसे चर्चित नाम है साधना कुशवाहा का, उनके संबंध में उपलब्ध पुराने सेवा समाप्ति आदेश में वर्ष 2020-21 की धान खरीदी में 3559.93 क्विंटल धान की कमी का उल्लेख है,उसी दस्तावेज में पशुपालन ऋण वितरण में भी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए 71 हितग्राहियों को कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर लगभग 1 करोड़ 88 लाख 59 हजार रुपये के ऋण वितरण की जांच का जिक्र है,अब सवाल यह नहीं है कि फाइल में कार्रवाई हुई या नहीं,सवाल यह है कि कार्रवाई के बाद फिर जिम्मेदारी किसने दी?

2020-21 में 3559.93 क्विंटल की कमी, फिर भी धान खरीदी की चाबी वापस कैसे मिली?- सोनपुर समिति से संबंधित उपलब्ध दस्तावेज में साधना कुशवाहा के खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्रवाई का आधार दर्ज है,आदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान खरीदी के दौरान 3559.93 क्विंटल धान शॉर्टेज होने की बात कही गई और इससे समिति को गंभीर आर्थिक क्षति होने का उल्लेख किया गया,यानी मामला कोई छोटी-मोटी कार्यालयीन गलती बताकर छोड़ देने वाला नहीं था,धान खरीदी में स्टॉक का मतलब सीधे किसान और शासन के पैसे से है। एक क्विंटल धान का हिसाब भी महत्वपूर्ण है और यहां दस्तावेज में हजारों क्विंटल की कमी दर्ज है, ऐसे में सामान्य प्रशासनिक समझ यही कहती है कि जिस व्यक्ति पर धान खरीदी के दौरान गंभीर कमी का मामला सामने आया हो, उसे दोबारा उसी व्यवस्था की जिम्मेदारी देने से पहले उसकी पिछली कार्रवाई,जांच और सेवा रिकॉर्ड की गहराई से समीक्षा होनी चाहिए,लेकिन यहां कहानी यहीं खत्म नहीं हुई,आरोप है कि साधना कुशवाहा को बाद में वर्ष 2024-25 और फिर 2025-26 में धान खरीदी प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई,यही वह बिंदु है जहां सहकारिता विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर 2020-21 की कमी का मामला सही था तो दोबारा प्रभार क्यों? अगर मामला गलत था तो सेवा समाप्ति क्यों? अगर सेवा समाप्ति सही थी तो बाद में बहाली अथवा पुनर्नियुक्ति किस आदेश से? और अगर सब कुछ नियम के तहत हुआ तो वह नियम सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता?

एक तरफ निलंबन,दूसरी तरफ पुरानी सेवा का रिकॉर्ड,फिर भी बार-बार वही जिम्मेदारी क्यों?- साधना कुशवाहा का मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल 2025-26 की कथित कमी तक सीमित नहीं है,एक तरफ उपलब्ध सेवा समाप्ति आदेश में 2020-21 की 3559.93 क्विंटल धान कमी दर्ज है, दूसरी तरफ बाद में 2024-25 और 2025-26 में धान खरीदी प्रभारी बनाए जाने की जानकारी सामने आती है, और तीसरी तरफ 2025-26 में करीब 13 हजार क्विंटल कमी का आरोप लगने के बाद निलंबन की कार्रवाई की बात सामने आ रही है,यदि यह पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड से प्रमाणित होता है तो विभाग को केवल निलंबन की कार्रवाई तक रुकने के बजाय यह भी देखना होगा कि पहले के रिकॉर्ड के बावजूद उन्हें दोबारा जिम्मेदारी देने की प्रशासनिक स्वीकृति किस स्तर से मिली,क्योंकि जिम्मेदारी केवल उस कर्मचारी की नहीं होती जो धान केंद्र पर बैठा है, जिम्मेदारी उस अधिकारी की भी होती है जो उसे वहां बैठाता है।

साधना प्रकरण में अदालत का रिकॉर्ड भी मौजूद,लेकिन विभागीय सवाल फिर भी बाकी- साधना कुशवाहा से संबंधित हाई कोर्ट के MCRC No. 8355/2023 सहित संबंधित मामलों के 13 दिसंबर 2023 के आदेश में उनके पक्ष की ओर से ऋण वितरण और भुगतान से संबंधित दलीलें रखे जाने का उल्लेख है, आदेश में अदालत ने संबंधित दलीलों के संबंध में अतिरिक्त शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था और मामलों को जनवरी 2024 में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था,इसका अर्थ यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि अदालत ने सेवा समाप्ति या धान कमी के आरोपों को अंतिम रूप से सही ठहरा दिया,न्यायालयीन कार्यवाही और विभागीय कार्रवाई के अपने-अपने स्तर होते हैं, लेकिन इससे एक बात जरूर स्पष्ट होती है—मामला केवल गांव की चर्चा नहीं है; इसके पीछे दस्तावेजी और न्यायालयीन रिकॉर्ड भी मौजूद हैं,इसलिए विभाग के लिए अब सबसे उचित रास्ता यही है कि वह पूरी फाइल सार्वजनिक करे और स्पष्ट करे कि आगे क्या कार्रवाई हुई।

सहकारिता में 'कुर्सी अमर है' या नियम भी जिंदा हैं?- सोनपुर समिति का मामला अब साधना कुशवाहा और विवेक कुमार चौरसिया तक सीमित नहीं रहना चाहिए,यह सहकारिता विभाग की उस व्यवस्था की परीक्षा है जिसमें कर्मचारी की नियुक्ति,सेवा समाप्ति, पुनर्नियुक्ति,धान खरीदी का प्रभार, टॉक सत्यापन और परिवहन रिकॉर्ड—सभी प्रक्रियाएं नियमों से संचालित होनी चाहिए,यदि साधना कुशवाहा को 2020-21 की कार्रवाई के बावजूद 2024-25 और 2025-26 में धान खरीदी प्रभारी बनाया गया,तो उसका आदेश सार्वजनिक होना चाहिए, यदि 2025-26 में करीब 13 हजार क्विंटल कमी का आरोप लगा और निलंबन हुआ,तो जांच रिपोर्ट सामने आनी चाहिए,यदि बाद में उसी कमी को परिवहन के जरिए शून्य शॉर्टेज दिखाया गया,तो परिवहन दस्तावेज और भौतिक सत्यापन का मिलान होना चाहिए,और यदि विवेक कुमार चौरसिया को 9 जुलाई 2025 को कार्य से पृथक करने के बाद 7 अगस्त 2026 की संचालक मंडल बैठक में वापस रखने की तैयारी हुई,तो उसकी वैधानिक प्रक्रिया सार्वजनिक होनी चाहिए,क्योंकि कुर्सी किसी की निजी संपत्ति नहीं है और समिति किसी अधिकारी की निजी प्रयोगशाला नहीं, किसानों का धान है,किसानों का पैसा है और सहकारी संस्था किसानों की है,इसलिए अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि साधना वापस कैसे आई या विवेक को फिर क्यों बुलाया गया,सबसे बड़ा सवाल यह है—'क्या सोनपुर में नियम पहले आते हैं और कर्मचारी बाद में,या कर्मचारी पहले तय होते हैं और नियम बाद में खोजे जाते हैं?'इसका जवाब विभाग को दस्तावेजों के साथ देना चाहिए।

अब 2025-26 का नया अध्याय-करीब 13 हजार क्विंटल कमी का आरोप

पुराने मामले से भी ज्यादा गंभीर सवाल अब वर्ष 2025-26 की धान खरीदी को लेकर सामने आया है, उपलब्ध जानकारी के अनुसार साधना कुशवाहा पर इस अवधि में करीब 13 हजार क्विंटल धान की कमी का आरोप लगा और इसके बाद उन्हें निलंबित किया गया,यह आंकड़ा यदि जांच में प्रमाणित होता है तो यह साधारण स्टॉक अंतर का मामला नहीं माना जा सकता,इतनी बड़ी मात्रा में धान की कमी का अर्थ है कि खरीदी,भंडारण,उठाव,परिवहन,मिलिंग और अंतिम स्टॉक—पूरी श्रृंखला की जांच आवश्यक है, लेकिन कहानी यहां भी एक और मोड़ लेती है,आरोप है कि वास्तविक कमी को परिवहन के कागजों में समायोजित करते हुए कागजों पर शॉर्टेज को शून्य दिखाने का प्रयास किया गया,यानी गोदाम में धान कम हो सकता है,लेकिन फाइल में धान पूरा! यहीं से सहकारिता का वह पुराना मजाक फिर जीवित हो जाता है...धान जमीन पर कम हो तो क्या हुआ,कागज पर पूरा होना चाहिए! बेशक यह व्यंग्य है। लेकिन यदि वास्तविक स्टॉक और सरकारी रिकॉर्ड में अंतर था और उसे परिवहन दस्तावेजों के माध्यम से समायोजित कर शून्य शॉर्टेज दिखाया गया, तो यह गंभीर जांच का विषय है।

शून्य शॉर्टेज का खेल,धान गया कहां और कागज में आया कहां से...?

धान खरीदी केंद्र में वास्तविक स्टॉक का मिलान केवल कागज देखकर नहीं हो सकता भौतिक सत्यापन,परिवहन पर्चियां,डीओ/डीसीएस, उठाव रिकॉर्ड,मिलर को भेजे गए धान की मात्रा,केंद्रवार स्टॉक रजिस्टर और बैंक/समिति के वित्तीय अभिलेखों को एक साथ देखने पर ही वास्तविक स्थिति सामने आएगी,इसलिए इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यदि करीब 13 हजार क्विंटल की कमी थी तो वह धान किस तारीख को,किस वाहन से और किस परिवहन दस्तावेज के आधार पर उठाया गया? किस मिलर को भेजा गया? किस अधिकारी ने सत्यापन किया? किसने परिवहन रिकॉर्ड स्वीकार किया? क्या वाहनों की वास्तविक आवाजाही का सत्यापन हुआ? क्या वजन पर्चियां उपलब्ध हैं? क्या भौतिक स्टॉक से उसका मिलान हुआ? और यदि सब कुछ परिवहन में चला गया था तो फिर शुरुआती निरीक्षण में कमी कैसे सामने आई? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि मामला वास्तविक परिवहन का था या कागजी समायोजन का।

सबसे बड़ा सवाल की किसके आदेश पर जिम्मेदारी मिली?

साधना कुशवाहा को दोबारा धान खरीदी प्रभारी बनाए जाने का निर्णय यदि रिकॉर्ड में मौजूद है तो उसमें संबंधित आदेश,तिथि और सक्षम अधिकारी का नाम होना चाहिए,यही दस्तावेज बताएगा कि विभाग में निर्णय किस स्तर पर हुआ,क्योंकि यदि किसी व्यक्ति का पुराना रिकॉर्ड विभाग के पास मौजूद था और फिर भी उसे संवेदनशील धान खरीदी केंद्र की जिम्मेदारी दी गई,तो यह निर्णय लेने वाले अधिकारी की भूमिका की जांच भी जरूरी है, कर्मचारी पर कार्रवाई करके कहानी खत्म नहीं हो सकती,जिसने नियुक्त किया,जिसने निरीक्षण किया,जिसने स्टॉक सत्यापन किया, जिसने परिवहन रिकॉर्ड स्वीकार किया और जिसने शून्य शॉर्टेज का रिकॉर्ड तैयार या अनुमोदित किया,हर स्तर की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

अब किसान पूछ रहा है की धान का हिसाब किससे मांगे?

सहकारी समितियों का सबसे बड़ा आधार किसान है,किसान धान बेचता है और उम्मीद करता है कि उसकी उपज का सही वजन होगा, सही भुगतान होगा और शासन की पूरी व्यवस्था पारदर्शी होगी,लेकिन जब एक ही नाम के आसपास बार-बार धान खरीदी से जुड़े सवाल खड़े हों तो किसान का सवाल स्वाभाविक है अगर पहले 3559.93 क्विंटल की कमी के बाद भी उसी व्यक्ति को फिर धान खरीदी की जिम्मेदारी मिल सकती है और बाद में करीब 13 हजार क्विंटल कमी का आरोप लग सकता है,तो आखिर जवाबदेही किसकी है? यह सवाल किसी व्यक्ति को दोषी साबित करने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था को जवाबदेह बनाने के लिए है।

कहां खो गईं इमरान हाशमी की पहली हीरोइन अपर्णा तिलक?

फुटपाथ से रातोंरात स्टार बनकर हुई गुमनान

अब बदली जिंदगी की दिशा... बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की फिल्म फुटपाथ से स्टार बनीं अपर्णा तिलक तो याद ही होंगी,अब एक्टिंग छोड़ चुकी हैं...17 साल पहले शोबिज को अलविदा कहकर अब वो कहां हैं और क्या करती हैं।

ग्लैमर और चकाचौंध से भरी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक कड़वा सच यह भी है कि यहां वक्त का पहिया घूमते ही कई सितारे रातोंरात सफलता की बुलंदियों पर पहुंचते हैं और फिर अचानक गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो जाते हैं। बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार रहे हैं, जिनकी पहली ही फिल्म ने दर्शकों का दिल जीत लिया, लेकिन उनका फिल्मी सफर लंबा नहीं चल सका। ऐसी ही एक अदाकारा हैं अपर्णा तिलक,जिन्हें आज भी लोग इमरान हाशमी की पहली फिल्म फुटपाथ की उस खूबसूरत अंग्रेजी वाली मैडम के रूप में याद करते हैं।

रातोंरात मिली शोहरत और वो यादगार किरदार

साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म फुटपाथसे अभिनेता इमरान हाशमी ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। इसी फिल्म में अपर्णा तिलक ने शालिनी नाम की एक सादगी भरी टीचर का किरदार निभाया था, जो फिल्म में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाती है। कहानी में इमरान हाशमी का किरदार रघु उनसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगता है और दोनों की यह अनूठी लव स्टोरी दर्शकों के दिलों में उतर गई थी। अपनी बेबाक खूबसूरती,शालीन अदाकारी और मनमोहक मुस्कान से अपर्णा ने रातोंरात हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था।

टीवी से लेकर फिल्मों तक का शानदार सफर

फिल्मों में कदम रखने से पहले और उसके बाद भी अपर्णा तिलक का जलवा छोटे पर्दे पर खूब देखने को मिला। उन्होंने टीवी की दुनिया में कई सालों तक काम किया और अपने हर किरदार से दर्शकों को प्रभावित किया। नब्बे के दशक और उसके बाद के दौर में वह फैमिली नंबर वन, हेलो फ्रेंड्स, जीत,कोई आप सा और लोकप्रिय शो लेफ्ट राइट लेफ्ट जैसे कई मशहूर धारावाहिकों में अहम भूमिकाओं में नजर आईं। उन्होंने बड़े पर्दे के साथ-साथ टेलीविजन इंडस्ट्री में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई थी।

एक्टिंग को अलविदा कहकर चुनी नई राह

सफलता और शोहरत के बीच हर किसी के मन में यह सवाल आता है कि आखिर इतना बेहतरीन करियर होने के बावजूद अपर्णा अचानक स्क्रीन से गायब क्यों हो गईं? दरअसल लगभग 17 साल पहले ही अपर्णा ने शोबिज और एक्टिंग की दुनिया को पूरी तरह से अलविदा कह दिया था। एक इंटरव्यू में अपने निजी जीवन का खुलासा करते हुए उन्होंने बताया था कि एक्टिंग छोड़ने के बाद वह अपने पति के साथ दुबई शिफ्ट हो गईं और वहीं अपना आशियाना बसा लिया। ग्लेमर की चकाचौंध से दूर दुबई में अपर्णा ने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने टैरो कार्ड रीडर के रूप में अपने नए करियर की शुरुआत की। आज वह एक सफल टैरो कार्ड रीडर के रूप में एक्टिव हैं और अपनी इस नई पहचान से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि इस नए काम में उन्हें आत्मसंतुष्टि और सुकून मिलता है।

वर्षों में बदला लुक और वापसी की उम्मीद

समय के साथ अपर्णा तिलक के लुक्स में भी काफी बदलाव आ चुका है। फुटपाथ की वह सादगी से भरी एक्ट्रेस अब बेहद अलग और ग्रेसफुल नजर आती हैं। अपने जीवन के 47वें पड़ाव पर पहुंच चुकीं अपर्णा भले ही आज एक अलग पेशे में सफलता हासिल कर चुकी हैं, लेकिन उनके दिल में सिनेमा के प्रति प्यार आज भी जिंदा है। उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया था कि अगर भविष्य में उन्हें कोई बहुत अच्छा और मनपसंद अवसर मिलता है तो वह एक बार फिर से कैमरे के सामने अभिनय की दुनिया में वापसी करने के बारे में सोच सकती हैं।

ब्रह्मास्त्र 2 में हुई रणबीर कपूर की एक्स की एंट्री,आलिया भट्ट के साथ निभाएंगी ये धांसू रोल

निर्देशक अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र 2 में रणबीर कपूर की एक्स की एंट्री हो चुकी है। वह आलिया और रणबीर के साथ एक दमदार रोल निभाती नजर आएंगी।

साल 2022 में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की एक फिल्म आई थी नाम था ब्रह्मास्त्र- पार्ट वन - शिवा। वहीं जल्द ही इसका दूसरा पार्ट आने वाला है जिसको लेकर धीरे-धीरे अपडेट सामने आ रहे हैं। डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र 2 पर काम शुरू कर दिया है। वहीं ताजा जानकारी के अनुसार इसमें रणबीर और आलिया के साथ दीपिका पादुकोण को भी कास्ट करने की बात सामने आ रही है।

रणबीर इन दिनों नितेश तिवारी की रामायण पार्ट 2 की शूटिंग में व्यस्त हैं। इसे पूरा करते ही वो बहुत जल्द ब्रह्मास्त्र 2 पर काम शुरू कर देंगे।

दीपिका पादुकोण ब्रह्मास्त्र के सीक्वल में अमृता का रोल निभा सकती हैं।

क्या किरदार निभाएंगी दीपिका पादुकोण?

पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अयान और उनकी टीम चाहती है कि दीपिका अस्त्रावर्स के अगले चैप्टर में अमृता का अहम किरदार निभाएं। कहा जा रहा है कि इस रोल के लिए एक ऐसी एक्ट्रेस की जरूरत है जो स्क्रीन पर अपनी मजबूत मौजूदगी दिखा सके। मेकर्स अभी फिल्म की स्क्रिप्ट और दूसरी तैयारियों पर काम कर रहे हैं।

कब से शुरू होगी शूटिंग?

रणबीर कपूर नितेश तिवारी की रामायण पार्ट 2 की शूटिंग जनवरी 2027 तक खत्म कर सकते हैं। एक छोटे से गैप के बाद एक्टर ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग अप्रैल 2027 से शुरू कर सकते हैं। अगर दीपिका ब्रह्मास्त्र फाइनल करती हैं तो दर्शकों को साथ में एक इंटरेस्टिंग कास्ट देखने को मिलेगी। इसमें रणबीर कपूर शिवा और आलिया भट्ट ईशा के रोल को दोहराते नजर आएंगे। ब्रह्मास्त्र का पहला पार्ट साल 2022 में आया था।

विलेन से पौराणिक किरदार तक अक्षय खन्ना का सफर ये हैं उनके दमदार रोल

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय खन्ना एक बार फिर अपने दमदार अभिनय से दर्शकों को चौंकाने की तैयारी में हैं। हाल के दिनों में फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत के किरदार से जबरदस्त चर्चा बटोरने वाले अक्षय खन्ना अब पौराणिक किरदार शुक्राचार्य के रूप में नजर आएंगे। फिल्म महाकालीमें वह असुरों के गुरु शुक्राचार्य की भूमिका निभाने वाले हैं। अक्षय खन्ना की खासियत रही है कि उन्होंने अपने करियर में हमेशा अलग-अलग तरह के किरदार चुने हैं। कभी रोमांटिक हीरो,कभी नेगेटिव किरदार,कभी गंभीर अभिनेता और कभी कोर्ट रूम ड्रामा में वकील बनकर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई।

रहमान डकैत से मिली नई पहचान

फिल्म धुरंधरमें अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार निभाकर खूब सुर्खियां बटोरीं। उनके खतरनाक अंदाज, स्क्रीन प्रेजेंस और अभिनय की जमकर तारीफ हुई। कई दर्शकों ने फिल्म में उनके किरदार को सबसे प्रभावशाली बताया। अक्षय खन्ना का यह किरदार इस बात का उदाहरण बना कि एक अभिनेता उम्र और स्टारडम से ज्यादा अपने अभिनय के दम पर दर्शकों के दिलों में जगह बना सकता है।

अब शुक्राचार्य बनकर दिखाएंगे नया रंग

अक्षय खन्ना फिल्म महाकाली में शुक्राचार्य की भूमिका निभाएंगे। पौराणिक कथाओं में शुक्राचार्य को असुरों का गुरु, महान विद्वान और रणनीतिकार माना जाता है। यह किरदार पूरी तरह से काला या सफेद नहीं है,बल्कि इसमें बुद्धिमत्ता,शक्ति और भावनात्मक जटिलता भी दिखाई जाती है। यही वजह है कि अक्षय खन्ना जैसे कलाकार के लिए यह भूमिका बेहद चुनौतीपूर्ण और खास मानी जा रही है।

अक्षय खन्ना के 10 बेहतरीन किरदार

1. बॉर्डर में धर्मवीर

अक्षय खन्ना ने फिल्म बॉर्डर से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उन्होंने लेफ्टिनेंट धर्मवीर का किरदार निभाया था। उनकी मासूमियत और देशभक्ति से भरी भूमिका को दर्शकों ने काफी पसंद किया। यह फिल्म उनके करियर का बड़ा टर्निंग प्वाइंट साबित हुई।

2. ताल में मानव

सुभाष घई की फिल्म ताल में अक्षय खन्ना ने मानव का किरदार निभाया था। फिल्म में उनकी रोमांटिक छवि और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाया। उनकी एक्टिंग को इस फिल्म में काफी सराहा गया।

3. दिल चाहता है में सिद्धार्थ

फिल्म दिल चाहता है में अक्षय खन्ना ने सिद्धार्थ का किरदार निभाया था। यह उनके करियर के सबसे यादगार किरदारों में शामिल है। एक शांत, संवेदनशील और कला प्रेमी युवक के रूप में उनका अभिनय आज भी याद किया जाता है।

4. हमराज में करण

फिल्म हमराज में अक्षय खन्ना ने नेगेटिव शेड वाला किरदार निभाया था। इस फिल्म में उन्होंने साबित किया कि वह सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं बल्कि ग्रे किरदार भी शानदार तरीके से निभा सकते हैं। उनके अभिनय ने फिल्म को और मजबूत बनाया।

5. देवांगी में राज गोयल

फिल्म देवांगी में अक्षय खन्ना ने एक जटिल किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके अभिनय की काफी तारीफ हुई। उनकी आंखों और चेहरे के भावों ने किरदार को अलग स्तर पर पहुंचाया।

6. गांधी माय फादर में हरिलाल गांधी

अक्षय खन्ना ने फिल्म गांधी माय फादर में महात्मा गांधी के बेटे हरिलाल गांधी की भूमिका निभाई थी। यह किरदार उनके अभिनय करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक माना जाता है। उन्होंने एक दुखी और संघर्षरत व्यक्ति की भावनाओं को बेहद प्रभावी तरीके से पेश किया।

7. रेस में राजीव

फिल्म रेस में अक्षय खन्ना ने नेगेटिव भूमिका निभाई थी। उनके स्टाइलिश अंदाज और चालाक किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया। यह फिल्म उनके अलग अंदाज को दिखाने वाली फिल्मों में शामिल है।

8. सेक्शन 375 में तरुण सलूजा

फिल्म सेक्शन 375 में अक्षय खन्ना ने एक तेज-तर्रार वकील का किरदार निभाया था। कोर्ट रूम ड्रामा में उनकी संवाद अदायगी और गंभीर अभिनय की खूब प्रशंसा हुई।

9. दृश्यम 2 में पुलिस अधिकारी

अजय देवगन स्टारर दृश्यम 2में अक्षय खन्ना ने पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। उनके शांत लेकिन प्रभावशाली अंदाज ने फिल्म में रोमांच बढ़ा दिया।

10. छावा में औरंगजेब

फिल्म छावा में अक्षय खन्ना ने मुगल बादशाह औरंगजेब का किरदार निभाया। इस भूमिका में उनके खतरनाक और गंभीर अभिनय की खूब चर्चा हुई। उन्होंने बिना ज्यादा संवादों के अपने हावभाव और व्यक्तित्व से किरदार को प्रभावशाली बना दिया।

क्यों खास हैं अक्षय खन्ना?

अक्षय खन्ना उन अभिनेताओं में शामिल हैं जो स्टारडम से ज्यादा किरदार को महत्व देते हैं। उन्होंने अपने करियर में कम फिल्में कीं, लेकिन ज्यादातर फिल्मों में अपनी अलग छाप छोड़ी। उनकी सबसे बड़ी ताकत है कि वह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के किरदारों में आसानी से ढल जाते हैं।

नए दौर में फिर चमक रहा करियर

एक समय फिल्मों से दूरी बनाने के बाद अक्षय खन्ना ने शानदार वापसी की है। दृश्यम 2, छावा और धुरंधर जैसी फिल्मों ने साबित कर दिया कि उनकी अभिनय क्षमता आज भी उतनी ही मजबूत है। अब शुक्राचार्य जैसे पौराणिक और जटिल किरदार से दर्शकों को उनसे एक और यादगार प्रदर्शन की उम्मीद है।

खेल समाचार

वैभव सूर्यवंशी कल फिर मैदान पर उतरेंगे

नई दिल्ली,20 अगस्त 2026। वैभव सूर्यवंशी अब दलीप ट्रॉफी के लिए मैदान में उतरेंगे। उन्हें इस बार ईस्ट जोन की टीम का उपकप्तान बनाया गया है। मैच 23 अगस्त से शुरू होगा,जो टेस्ट फॉर्मेट पर होगा।

वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर से मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं। हालांकि इस बार उनकी कड़ी परीक्षा होगी, वे जिस फॉर्मेट में उतरेंगे,उसमें उनका सिक्का अब तक ज्यादा नहीं चला है। मैच में अब ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए ये जान लीजिए कि मैच कब और कितने बजे से खेला जाएगा। चलिए आपको पूरी बात बताते हैं।

23 अगस्त से शुरू होंगे दलीप ट्रॉफी के मुकाबले

दरअसल दलीप ट्रॉफी का आगाज होने वाला है। इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है, साथ ही ये भी तय हो गया है कि फाइनल मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। इस बार दलीप ट्रॉफी का पहला मैच 23 अगस्त यानी दिन रविवार से होगा। पहले दिन ईस्ट जोन का मुकाबला नॉर्थ ईस्ट जोन से होगा। उसी दिन दूसरे मैच में इसी दिन नॉर्थ जोन

और वेस्ट जोन आमने सामने होंगे। दोनों मैच सुबह करीब साढ़े नौ बजे से शुरू हो जाएंगे।

ईस्ट जोन बनाम नॉर्थ ईस्ट जोन के मैच पर होगी सभी की नजर

पहले दिन मैच तो दो होंगे, लेकिन सभी की नजर ईस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन पर होगी। इस बार ईस्ट जोन का कप्तान ईशान किशन को बनाया गया है, वहीं वैभव सूर्यवंशी इस टीम के उपकप्तान बनाए गए हैं। वैभव ने पिछले दिनों जिस तरह का प्रदर्शन किया है, इसके बाद वे छा गए हैं। ये मैच बेंगलुरु में होगा। इस बार दलीप ट्रॉफी का फाइनल छह सितंबर को खेला जाएगा। बीसीसीआई ने बता दिया है कि इस बार का फाइनल चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा।

टेस्ट फॉर्मेट में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी

अब देखना होगा कि वैभव यहां भी पारी का आगाज करने के लिए उतरेंगे या फिर नीचे के क्रम में उतारा जाएगा। ये टूर्नामेंट टेस्ट फॉर्मेट पर होता है, यानी यहां पर वैभव का इम्तिहान होगा। वैभव ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू तो कर लिया है, लेकिन अगर उन्हें भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना है तो यहां उन्हें धैर्य और ध्यान से बल्लेबाजी करनी होगी। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में वैभव ने अब तक 8 मैच खेलकर केवल 207 ही रन बनाए हैं। उनके नाम दो अर्धशतक हैं। यहां उनका औसत केवल 17.25 का है।

नीरज चोपड़ा का आज लुसाने डायमंड लीग में होगा पथिरागे से सामना

लुसाने,20 अगस्त 2026। भारतीय स्टार जैवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के खत्म होने के बाद अब 21 अगस्त को होने वाले डायमंड लीग के अगले चरण जो लुसाने में होगा उसमें एक्शन में दिखाई देने वाले हैं। डायमंड लीग का अगला चरण जो सभी एथलीटों के लिए काफी अहम रहने वाला है वह लुसाने में आयोजित किया जा रहा है।

लुसाने डायमंड लीग 2026 में भारतीय फैंस की नजरें सबसे ज्यादा स्टार जैवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा को लेकर रहने वाली हैं, जो 21 अगस्त की रात एक्शन में दिखाई देंगे। नीरज चोपड़ा ने हाल में हुए ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल को अपने नाम किया था, जिसमें श्रीलंका के रुमेश पथिरागे गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए थे। वहीं अब एकबार फिर से नीरज का सामना रुमेश से होने जा रहा है और इस मुकाबले को लेकर फैंस के बीच में काफी दिलचस्पी देखने को मिल रही है।

नीरज चोपड़ा की नजरें फाइनल के लिए अपनी जगह पक्की करने पर

लुसाने डायमंड लीग का चरण नीरज चोपड़ा के लिए फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए काफी अहम रहने वाला है। नीरज चोपड़ा अभी फिलहाल छह अंकों के साथ 7वीं पोजीशन पर हैं। वहीं रैंकिंग में टॉप-6 में रहने वाले खिलाड़ी चार और पांच सितंबर को ब्रुसेल्स में होने वाले डायमंड लीग फाइनल के लिए अपनी जगह को पक्का करेंगे। श्रीलंकाई एथलीट रुमेश पथिरागे पहले ही डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। पथिरागे का इस सीजन काफी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है जिसमें उन्होंने 9 इवेंट में हिस्सा लिया है और उसमें से 8 को जीतने में कामयाब रहे हैं। वहीं नीरज चोपड़ा ने बैक इंजरी से उबरने के बाद वापसी की जिसमें वह कई अहम इवेंट का हिस्सा नहीं थे।

त्रीसा जॉली और गायत्री ने गोपीचंद विश्व चैंपियनशिप से सातवीं वरीयता प्राप्त जोड़ी को किया बाहर

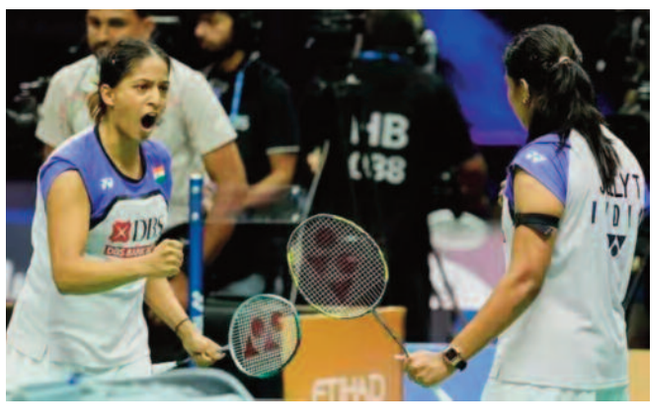

नई दिल्ली,20 अगस्त 2026। त्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी बैडमिंटन विश्व चैंपियन के महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने गुरुवार को जापान की सातवीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को सीधे गेम में हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया। भारत की गैर वरीयता प्राप्त जोड़ी ने एकतरफा मुकाबले में रिन और नाकानिशी की विश्व में सातवें नंबर की जोड़ी को 21-16 21-12 से हराया।

त्रीसा और गायत्री 44 मिनटों में जीतीं

हाल में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली त्रीसा और गायत्री ने शुरू से अच्छा प्रदर्शन किया और अपनी प्रतिद्वंद्वी टीम को कोई मौका नहीं दिया। यह मुकाबला 44 मिनट तक चला। यह भारतीय जोड़ी 2022 और 2023 में लगातार दो वर्ष ऑल इंग्लैंड ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची थीं। पिछले विश्व चैंपियनशिप में जापान की इस जोड़ी ने तीसरा स्थान हासिल करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता था।

इस साल की शुरुआत में त्रीसा के टखने में चोट लगने के कारण यह जोड़ी कुछ टूर्नामेंट में नहीं खेल पाई थी। उन्होंने इंडोनेशिया ओपन में वापसी की और इस महीने की शुरुआत में फिलीपीन इंटरनेशनल चैलेंज जीता।

सेमीफाइनल में चीनी चुनौती सामने होगी

झांग शूजिन और जिया इफान से होगा। 29 साल की जिया इफान के नाम विश्व चैंपियनशिप में चार गोल्ड हैं। उन्होंने पेरिस ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता था। हालांकि तब उनकी जोड़ीदार चेन किंगचेन हुआ करती थी। पिछले साल के अंत में चेन ने संन्यास ले लिया। उसके साथ ही जिया इफान ने झांग शूजिन को अपना जोड़ीदार बनाया है। चौथी वरीयता प्राप्त चीनी जोड़ी ने तीसरे राउंड के मुकाबले में ताइवान की हिसएह पेई-शान और हंग एन-त्जु को हराया।

कार्यालय जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिला सूरजपुर

दावा-आपत्ति

1. बच्चे का नाम - अम्बिका (समिति द्वारा रखा नाम)
2. बच्चे का प्राप्ति दिनांक -13.08.26
3. संस्था - विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी,अम्बिकापुर जिला - सरगुजा (छ.ग.)
4. रंग - गोरा
5. उम्र - 4 दिवस (जन्मतिथि 13.08.26)

उक्त परित्यक्त बालिका दिनांक 17.08.26 को बाल कल्याण समिति, सूरजपुर के पत्र क्र. 858 सूरजपुर दिनांक 17.08.26 से अस्थाई संरक्षण हेतु विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ ग) मे रखा गया है। सर्व संबंधित को जो कि बालिका के वैधानिक पालक / अभिभावक होने का दावा आपत्ति दर्ज कराना चाहते है, प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के भीतर जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय पुराना कलेक्ट्रेट भवन, प्रथम तल जिला- सूरजपुर (छ0ग0) अथवा विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) में दर्ज करा सकते है। उक्त समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा तथा दत्तक ग्रहण की कार्यवाही की जावेगी।

यह विज्ञापन मेरे द्वारा जारी किया गया है।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी
(मिशन वात्सल्य)
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला- सूरजपुर (छ.ग.)

जी.नं.- 262702854/1

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ0ग0)

रा0प्र0क0 - /अ-6 / 2025 26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुधीर गुप्ता आ. स्व. रामआसरे गुप्ता जाति वैश्य निवासी नवापारा अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम फुन्दुरडिहारी स्थित भूमि खसरा नंबर 312 / 11 रकबा 0.016 हे0 भूमि के राजस्व अभिलेखो में पंजीबद्ध दान पत्र दिनांक 15.05.2026 के माध्यम से नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है।

उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 09.09.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक 18/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील

तहसीलदार
अंबिकापुर
जिला-सरगुजा(छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2, जिला-सरगुजा (छ0ग0)

रा0प्र0क0 - /अ-6 / 2025 26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक यीशु दास एक्का आ. स्व. महाजन एक्का व अन्य,जाति उरांव, निवासी ग्राम कांप्रिकाशपुर,तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 द्वारा ग्राम कांतिप्रकाशपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 6/4, 167/1, 172 /10,336,337/4, 450/1, 445/4, 478/2, 504 / 8 कुल खसरा नंबर 09 कुल रकबा 0417 हे. भूमि के राजस्व अभिलेखों में अपंजीबद्ध वसीयतनामा दिनांक 25.02.2024 को निष्पादित वसीयत के आधार पर वसीयतकर्ता महाजन आ. चरन का नाम विलोपित कराकर अपना नाम दर्ज कराने बावत आवेदन पत्र पेश किया गया है।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 11/09/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है । समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 18/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील

अतिरिक्त तहसीलदार
अंबिकापुर-02

भाग-2

नमूना सहायक से खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनने का वैधानिक आधार क्या ?

केंद्रीय कानून, डीपीसी और सीधी भर्ती पर सरकार से जवाब तलब

केंद्रीय खाद्य सुरक्षा कानून क्या कहता है ?
- Food Safety & Standards Act, 2006 एवं Rules, 2011 के प्रावधान
- खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति के मानक और अर्हताएँ
- क्या नमूना सहायक की पदोन्नति इस कानून के अनुरूप हैं ?

पदोन्नति नियम और डीपीसी
- क्या 10% से 25% तक पदोन्नति कोटा का प्रावधान ?
- डीपीसी की संरचना और प्रक्रिया क्या रही ?
- क्या तकनीकी पद पर पदोन्नति के लिए नियत योग्यताएँ पूरी हुई ?
- डीपीसी की नोटशीट और निर्णय सार्वजनिक हों

चर्चा में आए नाम
- डॉ. अर्चना तिवारी (प्रयोगशाला प्रभारी विवाद)
- नितेश कुमार मिश्रा (प्रयोगशाला प्रभारी बनने का मामला)
- तत्कालीन नियंत्रक शर्मा (उड़न दस्ते की कार्रवाई)
- दीपक अग्रवाल (स्थापना शाखा प्रभारी)

सीधी भर्ती और रिक्त पदों पर सवाल
- ★ क्या खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती की अनदेखी हो रहीं ?
- ★ वर्तमान में फील्ड और टेक्निकल दोनों श्रेणियों में कुल कितने पद रिक्त ?
- ★ युवाओं को सीधी भर्ती का पर्याप्त अवसर कब मिलेगा ?

हाईकोर्ट प्रकरण
- WP(PIL) No. 91/2019
- WP(S) No. 9778/2019
- 16 अप्रैल 2024 के निर्णय के अधीन पदोन्नति आदेश

सरकार से प्रमुख सवाल
- पदोन्नति के पीछे नीति और तर्क सार्वजनिक क्यों नहीं ?
- क्या विभाग में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की गई ?
- क्या भविष्य में सीधी भर्ती पर स्पष्ट नीति बनेगी ?

नियम, पारदर्शिता और योग्यता पर उठे सवाल... जवाब कब देगा विभाग ?

साहब,खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनने की तैयारी करूं या पहले नमूना सहायक बनने का इंतजार करूं ?

नियमों की किताब में क्या है नमूना सहायक से खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनने का रास्ता? सरकार दे जवाब

खाद्य सुरक्षा अधिकारी की कुर्सी पर पदोन्नति का रास्ता कितना वैध? डीपीसी की नोटशीट से खुलेगा राज

क्या खाद्य सुरक्षा अधिकारी की सीधी भर्ती का रास्ता बंद हो रहा है? नमूना सहायकों की पदोन्नति ने बढ़ाई चिंता

केंद्रीय खाद्य सुरक्षा कानून,राज्य भर्ती नियम और डीपीसी–किस नियम के आधार पर हुई 13 पदोन्नतियां?

तकनीकी पद पर पदोन्नति का आधार क्या? डीपीसी की पात्रता जांच और नियमों की पारदर्शिता पर सवाल

हाईकोर्ट के मामलों से लेकर पदोन्नति नियमों तक...खाद्य सुरक्षा विभाग से जुड़े सवालों की लंबी फेहरिस्त

सरकार बताए...खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कितने पद रिक्त, कितने पदोन्नति से और कितने सीधी भर्ती से भरेंगे?

न्यूज डेस्क

नितेश कुमार मिश्रा को अंबिकापुर के अधिकारी है या रायपुर के...

इस पूरे प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी से जिला अभिहित अधिकारी के स्तर तक पहुंचे नितेश कुमार मिश्रा की भूमिका को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं, पूर्व में सामने रखे गए तथ्यों के अनुसार दिसंबर 2015 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनने के बाद उनका मूल प्रभार बलरामपुर रहा और अलग-अलग अवधि में सरगुजा,सूरजपुर तथा कोरिया जैसे जिलों के अतिरिक्त प्रभार से उनका नाम जोड़ा गया, 2015 से 2025 के बीच सरगुजा संभाग में लंबे समय तक बने रहने,बाद में पदोन्नति के बाद अंबिकापुर मुख्यालय मिलने तथा 2024-25 में बलरामपुर के मूल दायित्व के साथ अन्य अतिरिक्त दायित्व संभालने को लेकर सवाल उठाए गए हैं,इन आरोपों में यह भी कहा गया कि वे विभागीय पदस्थापन, स्थानांतरण और पदोन्नति से जुड़े मामलों में प्रभावशाली भूमिका निभाते रहे, साथ ही एक कथित सिंडिकेट और अपने समाज के लोगों को लाभ पहुचाने के आरोप भी लगाए गए थे, क्या ऐसे अधिकारियों की वजह से स्थापना में हो रही गतिविधियों में इनका नाम शामिल हो जाता है, अंबिकापुर में बैठकर रायपुर तक की दौड़ आखिर वजह क्या है? अपने कार्य स्थल पर कार्यवाही कम रायपुर अपने उच्च कार्यालय से सेटिंग के आरोप लगाते रहे, विभागीय सूत्रों का कहना है की मन चाह जगह पाना है या पदोन्नति में अड़चन आ रहे हैं तो नितेश मिश्रा से मिल लो काम हो जाएगा? क्या ऐसे अधिकारियों के भरोसे शुद्धता विभाग की खत्म होते जा रही है पारदर्शिता खत्म होते जा रही है यह बड़ा सवाल है? और संरक्षण कौन दे रहा है।

रायपुर,20 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और उसके अधीन बने नियमों में खाद्य सुरक्षा प्रशासन से संबंधित विभिन्न तकनीकी पदों और उनकी जिम्मेदारियों की व्यवस्था है, स्वस्थ्य की आधिकारिक वेबसाइट भी खाद्य सुरक्षा से संबंधित अधिनियम, नियम और विनियमों को केंद्रीय नियामक ढांचे के रूप में प्रकाशित करती है, स्वस्थ्य के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति और उससे जुड़ी व्यवस्था अधिनियम के प्रावधानों से जुड़ी है, जबकि अलग-अलग तकनीकी पदों की योग्यता समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं से निर्धारित होती है। इसी कारण इस विवाद में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज राज्य का लागू भर्ती नियम होगा,यह देखना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में नमूना सहायक से खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति का स्पष्ट प्रावधान किस नियम में है,उसका कोटा कितना है,न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है,कितना अनुभव आवश्यक है और क्या कोई विभागीय परीक्षा या अन्य पात्रता शर्त निर्धारित है, उपलब्ध 11 अगस्त के आदेश में पदोन्नति का आधार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा बताया गया है,लेकिन आदेश के इस हिस्से में पूरी पात्रता तालिका या डीपीसी की विस्तृत नोटशीट सार्वजनिक नहीं है।

दीपक अग्रवाल के स्तर पर लंबित पदोन्नति सूची का सवाल– पूर्व में लगाए गए आरोपों में यह भी कहा गया था कि नमूना सहायकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाने की एक और सूची स्थापना स्तर पर तैयार थी और दीपक अग्रवाल के स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, अब 11 अगस्त को 13 नमूना सहायकों की पदोन्नति का आदेश सामने आने के बाद इस दावे की भी जांच जरूरी है कि पूरी प्रक्रिया कब शुरू हुई, डीपीसी कब बैठी, पात्रता सूची कब तैयार हुई, आपत्तियां कब आमंत्रित हुई और अंतिम अनुशंसा कब की गई, यदि स्थापना शाखा की नोटशीट और डीपीसी की कार्यवाही सामने आती है तो यह स्पष्ट हो सकता है कि निर्णय अचानक लिया गया या लंबे समय से चल रही प्रक्रिया का परिणाम था। यही दस्तावेज विवाद को आरोप से तथ्य की ओर ले जा सकते हैं।

नमूना सहायक की नई भर्ती और पुरानी पदोन्नति का विरोधाभास– मई 2026 के विज्ञापन में नमूना सहायक के 30 पदों पर सीधी भर्ती का प्रावधान है,विज्ञापन में लिखित परीक्षा, मेरिट और विभागीय चयन प्रक्रिया का उल्लेख है,नमूना सहायक के लिए विज्ञान संकाय से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना आवश्यक बताया गया है,अब कुछ ही महीनों बाद उसी संवर्ग के 13 कर्मचारियों का खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नत होना इस बात की ओर ध्यान खींचता है कि विभाग अपने कैडर को किस तरह व्यवस्थित कर रहा है, क्या नमूना सहायक संवर्ग को भविष्य में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पदोन्नति चैनल बनाया जा रहा है? यदि हां,तो इसकी स्पष्ट नियमावली क्या है? यदि नहीं,तो वर्तमान पदोन्नति किस विशेष प्रावधान के तहत हुई?

औषधि विभाग और खाद्य विभाग की स्थापना व्यवस्था पर सवाल– शिकायतों में यह सवाल भी उठाया गया है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन एक संयुक्त प्रशासनिक ढांचे में काम करता है,लेकिन खाद्य विभाग के तकनीकी पदों की स्थापना,भर्ती और पदोन्नति संबंधी निर्णय किस अधिकारी और किस शाखा के नियंत्रण में हैं,यह भी पूछा गया है कि क्या खाद्य विभाग की स्थापना शाखा में खाद्य सुरक्षा कानून और तकनीकी सेवा नियमों से परिचित अधिकारी पर्याप्त रूप से शामिल हैं? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि खाद्य और औषधि दोनों क्षेत्र तकनीकी हैं और दोनों के पदों की योग्यता अलग-अलग होती है,औषधि निरीक्षक बनने के लिए निर्धारित तकनीकी डिग्री अलग है,जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए अलग शैक्षणिक एवं वैधानिक मानदंड हैं,इसलिए दोनों संवर्गों की स्थापना प्रक्रिया में संबंधित तकनीकी विशेषज्ञता की भूमिका कितनी है,यह सार्वजनिक होना चाहिए।

अदालत में चल रहे मामलों की भी होगी पड़ताल– पदोन्नति आदेश स्वयं दो हाईकोर्ट प्रकरणों–WP(PIL) No. 91/2019 और WP(S) No. 9778/2019–में 16 अप्रैल 2024 के अंतिम निर्णय के अधीन रहने की बात कहता है,इसलिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन में पदोन्नति,भर्ती,वरिष्ठता और सेवा शर्तों से जुड़े न्यायिक मामलों की सूची तैयार करना जरूरी है, कौन सा मामला किस मुद्दे पर है, किस पद से संबंधित है,उसमें अदालत ने क्या निर्देश दिए हैं और वर्तमान पदोन्नति पर उनका क्या असर है–इन सभी बिंदुओं की अलग से जांच आवश्यक है।

आदेश में मंत्री और सचिव को भी प्रतिलिपि– 11 अगस्त के आदेश की प्रतिलिपि महालेखाकार छत्तीसगढ़ के अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री के निजी सहायक तथा विभागीय सचिव को भी सूचना के लिए भेजी गई है, इसका अर्थ यह है कि पदोन्नति आदेश शासन के संबंधित उच्च स्तर तक भी सूचना के रूप में भेजा गया है, अब यदि इस आदेश को लेकर शिकायतें पहले से लंबित थीं तो यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि पदोन्नति से पहले उन शिकायतों पर कोई जांच, आपत्ति, विधिक राय या विभागीय परीक्षण हुआ था या नहीं।

अब सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए डीपीसी का आधार– इस पूरे मामले का सबसे साफ समाधान यही है कि सरकार और विभाग निम्न दस्तावेज सार्वजनिक करें–लागू भर्ती एवं पदोन्नति नियम,खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद का स्वीकृत पदबल,रिक्तियों की स्थिति, पदोन्नति कोटा,डीपीसी की संरचना,डीपीसी की कार्यवाही, पात्रता सूची,संबंधित कर्मचारियों के अनुभव एवं शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के परीक्षण का रिकॉर्ड,स्थापना शाखा की नोटशीट और सीधी भर्ती से खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद भरने का प्रस्ताव, यदि इन दस्तावेजों से स्पष्ट हो जाता है कि 13 कर्मचारियों की पदोन्नति नियमों के अनुरूप हुई है तो विवाद समाप्त होना चाहिए, यदि नियमों में कोई विसंगति मिलती है तो जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

अब गेंद सरकार के पाले में– 11 अगस्त का आदेश अब जारी हो चुका है। उसमें 13 नमूना सहायकों की पदोन्नति स्पष्ट रूप से दर्ज है और आदेश पर आयुक्त,खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़ के हस्ताक्षर हैं, आदेश में यह भी कहा गया है कि यह तत्काल प्रभावशील होगा तथा पदोन्नत कर्मचारियों को 15 दिनों के भीतर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना होगा, इसलिए अब मामला केवल आरोप और प्रत्यारोप का नहीं रहा,एक तरफ विभाग का आधिकारिक आदेश है,दूसरी तरफ उसी विभाग की सीधी भर्ती का विज्ञापन है और तीसरी तरफ पदोन्नति की पात्रता एवं वैधानिक आधार को लेकर उठ रहे सवाल हैं,दैनिक घटती-घटना ने जिन बिंदुओं पर पहले सवाल उठाए थे,उनमें से कम से कम एक महत्वपूर्ण तथ्य अब दस्तावेज में सामने आ गया है, डॉ. अर्चना तिवारी का नाम वास्तव में 13 पदोन्नत कर्मचारियों की सूची में शामिल है, अब जरूरत इस बात की है कि सरकार केवल आदेश जारी करने तक सीमित न रहे, बल्कि यह भी बताए कि इस आदेश के पीछे नियम क्या हैं,डीपीसी ने क्या परीक्षण किया और खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों को भरने की दीर्घकालिक नीति क्या है,क्योंकि खाद्य सुरक्षा केवल सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति का विषय नहीं है,यह सीधे आम नागरिक के भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है,इसलिए इस पूरे मामले में नियम,योग्यता,अनुभव और पारदर्शिता–चारों का स्पष्ट होना जरूरी है।

व्यंग्य का आखिरी सवाल–अगर नियम इतने साफ हैं तो उन्हें दिखाने में परेशानी क्या है? और अगर नियम दिखाने में परेशानी है तो सवाल पूछने वाले को दोष क्यों? सरकारी नौकरी में सीढ़ियां होना अच्छी बात है, लेकिन सीढ़ी किसने बनाई, कितनी मंजिल तक जाती है और किसके लिए खुली है यह बताना भी जरूरी है,वरना कल कोई युवा यह न पूछ बैठे–साहब,खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनने की तैयारी करूं या पहले नमूना सहायक बनने का इंतजार करूं? और यही इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा व्यंग्य है–जनता की थाली की सुरक्षा करने वाले विभाग में इस समय सबसे ज्यादा सवाल थाली के नहीं,कुर्सियों के हैं।

सीधी भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के बीच पदोन्नति से अधिकारी बने कर्मचारी,नियमों पर उठे गंभीर सवाल

क्या पदोन्नति प्रतिशत बदला गया?

पूर्व में उठाए गए सवालों में यह भी कहा गया था कि पदोन्नति का प्रतिशत 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किए जाने के बाद नमूना सहायकों के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनने का रास्ता व्यापक हुआ, यह दावा अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उपलब्ध 11 अगस्त के आदेश में इस प्रतिशत परिवर्तन का मूल आदेश या नियम संलग्न नहीं है, इसलिए सरकार को वह अधिसूचना या सेवा नियम सार्वजनिक करना चाहिए जिसके आधार पर पदोन्नति कोटा तय किया गया, यदि ऐसा कोई संशोधन हुआ है तो उसकी तारीख, प्रभावी अवधि और पात्र संवर्ग स्पष्ट होना चाहिए, यदि ऐसा संशोधन नहीं हुआ है तो 25 प्रतिशत का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत माना जाएगा, यही कारण है कि इस मामले में मूल राजपत्र और सेवा नियम देखना आवश्यक है।

केबीसी में छत्तीसगढ़ के योगेश साहू ने जीते 50 लाख आईएएस बनने के लिए ठुकराई 1.5 लाख की नौकरी

बलौदाबाजार,20 अगस्त 2026। जिले के 23 वर्षीय योगेश साहू ने टीवी क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति 18 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 लाख रुपये जीत लिए। योगेश के सामने 1 करोड़ रुपये का सवाल भी आया, लेकिन उन्होंने जोखिम लेने के बजाय गेम क्विट कर 50 लाख रुपये की राशि अपने नाम कर ली। ग्राम टेहका निवासी योगेश की कहानी उनकी जीत से भी ज्यादा प्रेरणादायक है। आईआईटी बॉम्बे में टॉपर रह चुके योगेश ने कैंपस प्लेसमेंट में मिली करीब 1.5 लाख रुपये प्रति माह की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उनका लक्ष्य पीएससी पास कर आईएएस अधिकारी बनना है। वह फिलहाल सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। योगेश के पिता गयाराम साहू महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस के ड्राइवर हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद योगेश ने पढ़ाई में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने पीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा भी पहले प्रयास में पास की है।

50 लाख के सवाल ने दिलाई बड़ी जीत

केबीसी में 50 लाख रुपये के सवाल में योगेश से शहर और साल से जुड़ी एक पहेली पूछी गई थी। विकल्पों में त्रिशूर,मैसूर,अल्मोड़ा और तिरुचिरापल्ली शामिल थे। योगेश ने अपनी आखिरी लाइफलाइन 'संकेत सूचक' का इस्तेमाल किया। हिंट मिलने के बाद उन्होंने सवाल में दिए वर्षों को नोबेल पुरस्कार से जोड़ते हुए

सही उत्तर तिरुचिरापल्ली चुना। यह जवाब सही निकला और योगेश ने 50 लाख रुपये जीत लिए। इसके बाद उनके सामने 1 करोड़ रुपये का सवाल आया,लेकिन योगेश ने आगे जोखिम नहीं लिया और 50 लाख रुपये लेकर गेम से बाहर होने का फैसला किया।

बिना सोशल मीडिया के पढ़ाई पर फोकस

योगेश की सफलता की एक खास बात यह भी है कि वह मोबाइल का इस्तेमाल बेहद कम करते हैं और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई बलौदाबाजार में हुई। आगे की पढ़ाई के दौरान कई लोगों ने उनकी आर्थिक मदद की, जिसके बाद उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में दाखिला लेकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। मुंबई से लौटने पर भाटापारा रेलवे स्टेशन पर ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने योगेश का जोरदार स्वागत किया।

डिप्टी सीएम साव का बड़ा ऐलान...पीडब्ल्यूडी में डीपीआर से कार्य की स्वीकृति तक सभी प्रक्रियाएं होंगी ऑनलाइन

रायपुर,20 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी, तेज और तकनीक आधारित बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने बताया कि विभाग में जल्द ही 'वमिस' प्रणाली लागू की जाएगी। इसके जरिए डीपीआर तैयार करने से लेकर निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति और अन्य विभागीय प्रक्रियाओं को एकीकृत ऑनलाइन सिस्टम से संचालित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि डिजिटल व्यवस्था लागू होने से फाइलों में लगने वाला समय कम होगा और विकास कार्यों को तेजी से जमीन पर उतारा जा सकेगा।

ऑनलाइन व्यवस्था से बढ़ेगी पारदर्शिता : उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से न केवल विभागीय कामकाज में तेजी आएगी, बल्कि निर्माण कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण भी बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग राज्य के बुनियादी ढांचे का प्रमुख आधार है और सड़क, पुल तथा

भवन निर्माण के साथ प्रक्रियाओं को सरल बनाना भी सरकार की प्राथमिकता है।

ढाई साल में 1,572 कार्यों को 12,666 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी : उप मुख्यमंत्री ने बताया कि दिसंबर 2023 में सरकार बनने के बाद से लोक निर्माण विभाग को बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यों के लिए प्रशासनिक स्वीकृतियां मिली हैं। पिछले ढाई वर्षों में 12,666 करोड़ से अधिक लागत के 1,572 कार्यों को मंजूरी दी गई है। इनमें 1,285 सड़क निर्माण, 247 पुल निर्माण और 42 भवन निर्माण से जुड़े कार्य शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से राज्य में सड़क संपर्क और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी।

सड़कों की पांच साल तक होगी देखरेख : सड़कों के बेहतर रखरखाव के लिए विभाग OPRMC के तहत पांच वर्षीय मरम्मत व्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है। इसके पायलट प्रोजेक्ट के तहत सिमगा-तिल्दा-खोरा मार्ग और नयापारा-कुरूद मार्ग सहित प्रमुख सड़कों को दीर्घकालिक संधारण योजना में शामिल किया गया है।

प्रशासनिक ढांचे का भी विस्तार

निर्माण कार्यों की निगरानी और उन्हें समय पर पूरा कराने के लिए विभागीय ढांचे में भी विस्तार किया गया है। पिछले ढाई वर्षों में 7 नए संभागीय कार्यालय और 12 नए उप संभागीय कार्यालय शुरू किए गए हैं। इससे स्थानीय स्तर पर परियोजनाओं की निगरानी और विभागीय समन्वय बेहतर होने की उम्मीद है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग लंबित अनुकंपा नियुक्तियों के मामलों के निराकरण पर भी ध्यान दे रहा है। सरकार का लक्ष्य 'लोक निर्माण से छत्तीसगढ़ निर्माण' के मूलमंत्र के साथ राज्य में अधोसंरचना विकास को नई गति देना है।

रायपुर में ट्रैफिक दबाव कम करने नई सड़कों और फ्लाईओवर की योजना

राजधानी रायपुर में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए लोक निर्माण विभाग कई नई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। उप मुख्यमंत्री के मुताबिक, मोवा से झेरीखेड़ी तक करीब 5 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए लगभग 100 करोड़ की योजना है। वहीं लाभांडी से सड्डू तक 5 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए भी करीब 100 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा चंदनीडीह से रायपुरा तक बायपास विकसित करने की योजना है। रावांभाटा-बंजारी मंदिर के पास फ्लाईओवर और एनएच-30 पर कमल विहार गेट के पास फ्लाईओवर की परियोजनाओं पर भी काम आगे बढ़ाया जा रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य शहर के प्रमुख हिस्सों में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाना है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)